सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 25 फाल्गुन, 1944 (श०) / 16 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 199

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	25
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	62
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	41
(4)	कृषि विभाग	21
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	25
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	17
(7)	सहकारिता विभाग	08
	कुल योग --	199

मिट्टी भराना

*1759. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत नगर परिषद्, रामनगर के वार्ड नम्बर 1 में भरत श्रीवास्तव के दिवार से सुभाष बैठा के घर के आगे तक नाली स्लैब एवं पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य कराने हेतु दिनांक 30 जुलाई, 2021 की बैठक में प्र0सं0 6 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके तहत दिनांक 5 मार्च, 2022 को विभागीय स्तर से उक्त कार्य कराने हेतु श्री जीतेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता को अभिकर्ता नियुक्त करते हुये कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रामनगर द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभिकर्ता द्वारा उक्त स्थल पर मिट्टी भराई का कार्य प्रारंभ करने के उपरान्त निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे कार्य को कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डॉक्टर की उपस्थिति ससमय कराना

*1760. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड इटाढ़ी में स्थित पशु अस्पताल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा अस्पताल में समय से डॉक्टर भी नहीं आते है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कर डॉक्टर की उपस्थिति ससमय कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचलाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना

*1761. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ एवं पुनपुन अंचल में अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर अंचलाधिकारी कार्य कर रहे है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों अंचल में स्थायी रूप से अंचलाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़कों को बनवाना

*1762. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर नगरपालिका में अवन्तिका मोड़ से वार्ड नम्बर 9 तक एवं सदर फाड़ी से वलीपुर तक की सड़क विगत दो वर्षों से जर्जर हो गई, जिससे आमलोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़कों का पुनःनिर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी उपाय करना

*1763. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज तथा टेढ़ागाछ में चालू वित्तीय वर्ष में किसानों को खरीफ और रबी फसलों के मध्य ही खाद की भारी किल्लत हुई है, यदि हाँ, तो सरकार बहादुरगंज, टेढ़ागाछ में खाद की किल्लत दूर करने का स्थायी उपाय कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 23 फरवरी, 2023 तक किशनगंज के बहादुरगंज एवं टेढ़ागाछ प्रखंड में आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है :--

मात्रा मे0 टन में

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	उर्वरक का नाम	आवश्यकता (माह फरवरी, 2023 तक)	उपलब्धता (दिनांक 23 फरवरी, 2023 तक)	अवशेष मात्रा (दिनांक 23 फरवरी, 2023 तक)	उर्वरक क्रय करने वाले किसानों की संख्या
1	बहादुर गंज	यूरिया	4226.631	4111.304	265.335	34636
		डी0ए0पी0	1655.468	1603.951	101.100	
		एन0पी0के0	607.337	1219.745	88.850	
		एम0ओ0पी0	428.067	234.742	25.350	
		एस0एस0पी0	855.205	717.988	96.875	
2	टेढ़ागाछ	यूरिया	3906.366	3849.820	169.680	28484
		डी0ए0पी0	1524.512	1588.716	148.450	
		एन0पी0के0	561.955	1253.213	172.350	
		एम0ओ0पी0	394.556	235.738	56.125	
		एस0एस0पी0	395.043	554.684	63.950	

अभीतक बहादुरगंज एवं टेढ़ागाछ प्रखंड से किसी प्रकार की उर्वरक कमी की सूचना लिखित या मौखिक रूप से कार्यालय को अप्राप्त है । उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

मानदेय देना

*1764. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सार्वजनिक जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं को विभाग द्वारा दैनिक मजदूरी से भी कम कमिशन दी जाती है, जिसके कारण इनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विक्रेताओं को सम्मानजनक मानदेय कबतक देने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । लक्ष्यित जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित डीलर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाता है, जो दिनांक 1 अप्रील, 2022 से 90 रुपया प्रति क्विंटल है। विक्रेताओं को डीलर मार्जिन मनी के रूप में दी जाने वाली राशि की तुलना दैनिक मजदूरी से नहीं की जा सकती। उक्त विक्रेताओं को बिहार लक्ष्यित जन-वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के तहत अनुज्ञप्ति दी जाती है, जिसके लिये किसी प्रकार के मानदेय भुगतान का प्रावधान नहीं है । विक्रेताओं को डीलर मार्जिन मनी के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ड्रेनेज निर्माण

*1765. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम जिला के सासाराम नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सासाराम में ड्रेनेज पार्ट-2 के निर्माण कराने हेतु बुडको द्वारा विगत छह माह पूर्व डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा गया था, परन्तु अबतक स्वीकृति नहीं दी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ड्रेनेज पार्ट-2 का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वासगीत का पर्चा देना

*1766. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के भगवान प्रखंड स्थित मोक्तियारपुर पंचायत के बनौली गाँव में 200 दलित परिवार के लोग बसे हुए है, जिसे वासगीत का पर्चा नहीं मिलने के कारण सरकारी लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर बसे हुए दलित परिवारों को वासगीत का पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*1767. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कृषि उत्पादन बाजार समिति में अवस्थित बिस्कोमान क्रय केंद्र लगभग 25 वर्षों से बंद पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसी बिस्कोमान क्रय केंद्र से किसानों को कृषि संबंधित खाद, बीज, दवा इत्यादि सरकारी दर पर उपलब्ध किया जाता था जिसके बंद होने के कारण किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फारबिसगंज प्रखंड के कृषि उत्पादन बाजार समिति में अवस्थित बिस्कोमान क्रय केंद्र को पुनः प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1768. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तीनो प्रखण्ड-पानापुर, ईशुआपुर एवं तरैया में सहकारिता विभाग के कार्यालय हेतु अपना कोई भवन नहीं है जिसके कारण कार्यालय संचालन करने में कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में विभाग का कबतक कार्यालय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रखण्ड स्तर पर पूरे बिहार राज्य में सहकारिता विभाग के कार्यालय हेतु अपना कोई भवन नहीं है। सहकारिता विभाग अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत पदाधिकारी (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) प्रखण्ड परिसर में उपलब्ध भवन से ही अपने कार्यों का सफलता पूर्वक निष्पादन करते हैं ।

(2) उपर्युक्त कॉडिका-01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पशु चिकित्सालय का निर्माण

*1769. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 20वीं पशुगणना के अनुसार पशुओं की संख्या 77461 है, जबकि दो ही पशु चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड के खास टभका पंचायत में नवनिर्मित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का निर्माण नहीं होने से 10 पंचायत यथा-टभका, चोरा टभका, खास टभका उत्तर, खास टभका दक्षिण, कल्याणपुर उत्तर, कल्याणपुर दक्षिण, मुस्तफापुर, चकहबीब, महिषी के 20943 पशुओं का चिकित्सा कार्य प्रभावित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खास टभका पंचायत में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशतः स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखण्ड में दो पशु चिकित्सालय अवस्थित है ।

(2) समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर प्रखण्ड में उल्लेखित सभी पंचायतों के पशुओं का इलाज प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, विभूतिपुर एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सिंघियाघाट में कार्यरत पशु चिकित्सक के द्वारा किया जाता है ।

(3) वर्तमान में सात निश्चय-2 के तहत पशुपालकों के द्वार (डोर स्टेप) पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है ।

राजस्व कर्मचारी की कमी को दूर करना

*1770. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा में किशनगंज एवं कोचाधामन दो अंचल कार्यालय अंतर्गत 30 हल्का है, जिससे राजस्व कर्मचारी की कमी के कारण आमजनों को राजस्व संबंधी कार्य कराने में आए दिन कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आमजनों की समस्याओं को देखते हुए राजस्व कर्मचारी की कमी को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । समाहर्ता, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा अन्तर्गत किशनगंज एवं कोचाधामन दो अंचल है, जिसमें क्रमशः 10 एवं 24 हल्का है, जिसके विरुद्ध पूर्व में 4 एवं 7 हल्का कर्मचारी पदस्थापित थे।

पुनः नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के पदस्थापन के उपरान्त किशनगंज अंचल में राजस्व कर्मचारियों की संख्या-07 तथा कोचाधामन अंचल में राजस्व कर्मचारियों की संख्या 13 हो गई है, इन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व संबंधी कार्य किया जा रहा है ।

कार्यालय भवन बनवाना

*1771. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत लहलादपुर प्रखण्ड में पशु एवं मत्स्य विभाग का अपना कार्यालय नहीं होने के कारण कोई भी विभागीय कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में विभाग कार्यालय भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आवंटन करना

*1772. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत, नौबतपुर के कार्यपालक पदाधिकारी के पत्रांक 524, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 के पत्र में अंकित राज्य योजना मद के तीन योजनाओं की प्राक्कलन राशि 45,21,800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया था, परन्तु अभीतक विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित राज्य योजना मद के उक्त पत्र में वर्णित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराने के साथ ही उक्त वर्णित प्राक्कलित राशि के आवंटन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जर्जर सड़कों को बनवाना

*1773. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर नगरपालिका क्षेत्र में डी०डी० तुलसी रोड एवं जुबली वेल से भारत माता चौक तक की सड़क जर्जर हो गयी है, जिससे आमजन को आवागमन में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों जर्जर सड़कों को पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*1774. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र, सुखेत परिसर में चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण परिसर में आवारा पशु आदि घूमते रहते हैं, जिससे कार्य प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र के भवन परिसर में चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बोरिंग की समुचित व्यवस्था कराना

*1775. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड अन्तर्गत सारथ डहरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 के लकड़ा गाँव सहित वार्ड संख्या 10 एवं 12 में पेयजल की समस्या है, कई इलाकों में पाइप नहीं बिछा है एवं वार्ड संख्या 10 एवं 12 में "हर घर नल-जल" योजनान्तर्गत लगे नल से लगभग 50 से 60 प्रतिशत घरों में पानी नहीं पहुँच पाता है, जिससे लोगों को पेयजल की समस्या होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके में पेयजल समस्या के निवारण हेतु अतिरिक्त बोरिंग आदि की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*1776. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज एवं जोगबनी नगर परिषद् में सम्राट अशोक भवन नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई होती है, जबकि विभागीय योजना के अनुसार प्रत्येक नगर निकाय में एक सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाना है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों नगर परिषद् में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट लगाना

*1777. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर के नेहरू पथ स्थित मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सरकारी आवास के बगल से अपना घर होते हुये सक्षम कार्यालय तक जाने वाली सड़क में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिस कारण आमलोगों को आने-जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क में स्ट्रीट लाइट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फसल सहायता अनुदान

*1778. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना में गन्ना फसल भी अधिसूचित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 में राज्य के पूर्वी चम्पारण, छपरा, गोपालगंज सहित दस जिलों के अड़सठ प्रखंडों में 106004.22 लाख हेक्टेयर में खेतों में लगे गन्ने की फसल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के दस जिलों के अड़सठ प्रखंडों में बाढ़ से हुयी गन्ने की फसल की क्षति का लाभ बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अन्तर्गत अभीतक उपलब्ध नहीं करायी गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो गन्ना किसानों को फसल सहायता अनुदान उपलब्ध नहीं कराने का औचित्य क्या है ?

अधिसूचना जारी कराना

*1779. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के पिपराकोठी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तानांतरण की संचिका आयुक्त, मुजफ्फरपुर, तिरहुत प्रमंडल कार्यालय के पत्रांक 410, दिनांक 31 जनवरी, 2023 को समाहर्ता, पूर्वी चंपारण के पास तकनीकी सुधार हेतु लौटा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार तकनीकी सुधार कर भूमि हस्तानांतरण की कार्रवाई पूरा कराते हुये अधिसूचना जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमाबंदी कायम कराना

*1780. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत अंचल बाराचट्टी के मौजा-काहुदाग के ग्राम-कोहवरी में 1995-96 में भूदान यज्ञ समर्पित द्वारा 544 एकड़ भूदान भूमि पर 450 भूमिहीनों को बासाया गया और उन्हें जमीन का परवाना दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि वितरित जमीन का चौहद्दी नहीं होने तथा अभीतक वितरित भूमि का जमाबंदी निर्धारित नहीं होने के कारण लोग जैसे-तैसे बस गये हैं और आये दिन आपस में विवाद, लड़ाई-झगड़ा होते रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वितरित भूमि का मापी कराकर, चौहद्दी निश्चित कर संबंधित लोगों के नाम, जमाबंदी कायम कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क नाला के साथ स्ट्रीट लाईट लगाना

*1781. ई० शशि भूषण सिंह (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजधानी पटना स्थित कि ट्रांसपोर्ट नगर व्यापार की रीढ़ है जहां प्रतिदिन पांच सौ छोटी बड़ी वाहनों का आवागमन होता है, परन्तु बरसात के दिनों में जल-जमाव के कारण वहां बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिससे वाहनों के पलटने का भय व्याप्त रहता है, जबकि सरकार प्रतिवर्ष वहां के व्यापारियों से डेवलपमेन्ट चार्ज 13000, (तेरह हजार) एवं कूड़ा उठाने का 1000 (एक हजार) प्रतिमाह लेता है, फिर भी नाला पक्की सड़क एवं स्ट्रीट लाईट के अभाव में वहां के व्यापारियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर नाला एवं सड़क का निर्माण कराने के साथ-साथ स्ट्रीट लाईट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की जाँच

*1782. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में प० चम्पारण जिला सहित विभिन्न जिलों में लौह प्रभावित अर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित पेयजल की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रयोगशाला प्रखंड स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण आमलोग दूषित पानी पीकर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार प० चम्पारण जिला के नौतन एवं बैरिया प्रखंड सहित सभी प्रखंडों में पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया की वस्तुस्थिति यह है कि--

1. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया अंतर्गत । अदद् जिला जल जांच प्रयोगशाला कार्यरत है ।

2. अनुमंडल स्तर पर अवर प्रमंडलीय जल जांच प्रयोगशाला, रामनगर एवं अवर प्रमंडलीय जल जांच प्रयोगशाला, नरकटियागंज कार्यरत है ।

3.पी०एच०ई०डी० के सभी पंचायतों में प्रशिक्षित पंप चालकों द्वारा FTK (Filed Test Kit) के माध्यम से जल जाँच की व्यवस्था की गई है । वर्तमान में विभाग द्वारा प्रखंड स्तर पर पेयजल की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला का स्थापना करने का प्रावधान नहीं है ।

शौचालय का निर्माण

*1783. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेतिया जिला के रामनगर नगर

परिषद अंतर्गत शहरी भाग में महिलाओं के लिये शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण दूर-दराज से आई महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार शहर के अंदर महिलाओं के लिये शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन प्रत्येक महादलित परिवार को देना

*1784. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में महादलित परिवार के बीच 03 डिसमिल जमीन प्रत्येक महादलित परिवार को देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली एवं खगड़िया प्रखंडों में जमीन के लिये महादलित परिवार द्वारा सरकार से बार-बार गुहार लगाता है, पर आजतक जमीन नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड एवं खगड़िया प्रखंड अंतर्गत महादलित परिवार के बीच 03 डिसमिल जमीन प्रत्येक महादलित परिवार को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*1785. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोग शहर में बने ओवर ब्रिज पर वाहनों की पार्किंग कर देते हैं, जिससे आवागमन बाधित रहने के कारण कई बार अस्पताल जाने के क्रम में मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक खगड़िया शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1786. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के सदर प्रखंड अन्तर्गत महुली पंचायत के वार्ड नंबर 10 में नल-जल का कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया गया है, पाइप मात्र 4 इंच गड्ढा करके डाला गया है, पाइप कई जगह फट गया है तथा सभी घरों में नल-जल का कनेक्शन भी नहीं पहुँचाया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना की जांच कर उसे मानक के अनुरूप करवाने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ दिलाना

*1787. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत दुर्गापुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 में स्थित 35 घरों को अबतक नल-जल योजना का लाभ नहीं मिला है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उन्हें नल-जल योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड दुर्गापुर पंचायत के वार्ड सं० 08 में योजना अधिष्ठापित कर जलापूर्ति की जा रही है । वार्ड के लगभग 30-35 घर निर्मित योजना से लगभग 1.8 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित रहने के कारण निर्मित योजना से जलापूर्ति किया जाना संभव नहीं है । अत: बचे हुये घरों के लिये नये योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । अनुमोदनोपरांत शीघ्र वंचित घरों को जलापूर्ति कर दी जायेगी

सुविधा उपलब्ध कराना

*1788. श्रीमती विभा देवी (क्षेत्र संख्या-237 नवादा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला नवादा के प्रखंड रजौली, स्थित फुलवरिया डैम के चारों ओर बसे ग्राम-सिंगर मेरमो, धानेखाप, सुअरटोली, कुम्भीयातरी और खिड़किया पंचायत के हरदिया तथा डैम से पश्चिम तरफ ग्राम-परतौनिया पीपरा, चोरडीहा, ढेलवा, जमुन्दाही, भराही एवं नावाडीह में आजतक पी0डी0एस0 दुकानों की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण पहाड़ पारकर बच्चों एवं महिलाओं को 25 से 30 किलो मीटर की दूरी तय कर अनाज लाने जाना पड़ता है, जिसके कारण नियमित रूप से अनाज का उठाव ग्रामीण नहीं कर पाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्रामों के दलित/महादलित गरीब परिवारों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कबतक पी0डी0एस0 दुकान खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला एवं सड़क का निर्माण कराना

*1789. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत के हिलसा नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड 7 में बनवारीपुर, पोएण्डा पथ से मदारचक, चमैनिया गबड़ा तक एवं वार्ड नम्बर 23 के कौशिक नगर में सड़क एवं नाला का निर्माण आजतक नहीं कराया गया है, जिसमें आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थानों में नाला एवं सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ देना

*1790. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसके कार्यान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 17 सितम्बर, 2018 एवं 22 जनवरी, 2021 को संकल्प निर्गत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त समिति द्वारा अनुशंसित सुविधाएँ चकबंदी के संविदा कर्मियों को भी अनुमान्य हैं, फिर भी उन्हें अर्जित अवकाश, यात्रा भत्ता, सेवा अभिलेख का संधारण आदि सुविधाएँ नहीं दी जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चकबंदी के संविदा कर्मियों को उक्त सुविधाओं का लाभ देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराना

*1791. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण रोहतास जिला में पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराईड की अत्यधिक मात्रा होने के कारण आमलोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रोहतास जिला के करगहर, कोचस, शिवसागर प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में पेयजल जाँच कराकर शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन आवंटित कर बसाना

*1792. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के राजीपुर पंचायत के मौजा बेलहर ग्राम-गोपालपुर में अर्जुन पासवान एवं चतुर्भुज पासवान, पिता-स्व0 लखीचन्द्र पासवान, शिवजी पासवान, पिता-सरयुग पासवान, शत्रुघ्न पासवान, पिता-स्व0 हरिहर पासवान, बौकू पासवान, पिता-स्व0 जोगेन्द्र पासवान, रामबाबू पासवान, पिता-श्याम पासवान व रामलगन पासवान, पिता-ब्रहमदेव पासवान, सत्यनारायण पासवान, पिता-स्व0 लक्ष्मी पासवान भूमिहीन है और पूर्व से कई पुस्तों से ही बिहार सरकार की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि शीशों हॉल्ट के ककरघाटी के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन निर्माण के कारण इनलोगों के घर को उजाड़ा जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन आवंटित कर बसाने का सरकार का निर्णय है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) वर्णित भूमिहीन परिवारों को बिहार सरकार की जमीन आवंटित कर बसाना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*1793. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत बाढ़ से विस्थापित परिवारों को "बेघरों का घर" स्कीम के तहत खगड़िया शहर स्थित आवास बोर्ड के जमीन पर बसाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक उनको वासगीत पर्चा नहीं दिये जाने के कारण रेवेन्यू रसीद कटाने में कठिनाई हो रही है, जिससे उनको किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवास बोर्ड के जमीन पर बसे लोगों को वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, खगड़िया से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वर्ष 1970 के दशक में रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के गंगा कटाव से विस्थापित परिवारों को आवास बोर्ड द्वारा मौजा सन्हौली, थाना नम्बर 268, रकबा लगभग 23.56 एकड़ भूमि अर्जन कर आवास निर्मित कर उक्त निर्मित सरकारी भवन में आवासित किया गया है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में प्रश्नगत जमीन नगर क्षेत्र खगड़िया के अन्तर्गत है । ऐसी स्थिति में BPPHT ACT प्रभावी नहीं है ।

(3) आवास बोर्ड से आवंटित व्यक्तियों का नाम एवं जमीन का विवरण की माँग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सभी आवंटियों को जमाबंदी निर्मित कर दी जायेगी ।

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1794. श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत पाटलीपुत्र अंचल के वार्ड नम्बर 8 में स्थित ए0 टू0 जेड0 अधिकारी आवास के आस-पास की सड़कों को अतिक्रमणकारियों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़कों को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध करना

*1795. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार मेडिकल सर्विस एण्ड इंफास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक बी0एम0एस0आई0सी0/80100/18-2021/7044, दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 के तहत बेतिया सिविल सर्जन को पिपरासी अंचल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए लगभग 73 डिसमिल जमीन उपलब्ध करने के लिए पत्र भेजा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पत्र के आलोक में जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरासी के पत्रांक 33, दिनांक 31 जनवरी, 2022 द्वारा अंचल अधिकारी, पिपरासी को पत्र दिया गया लेकिन अंचल मुख्यालय में पर्याप्त जमीन होने के बावजूद भी अंचलाधिकारी द्वारा अभीतक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पिपरासी अंचल मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*1796. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला में वर्ष 2021-22 में महादलित परिवारों को आवासित करने हेतु तीन डिसमिल जमीन देना था, परन्तु सहरसा जिला के किसी भी पंचायतों में महादलित परिवारों को तीन डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए महादलित परिवारों को तीन डिसमिल जमीन कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1797. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज नगर परिषद् के वार्ड सं0 19, 20, 26 एवं 27 में जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़क पर जल-जमाव रहता है, जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में नाला एवं सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध बूचड़खाना बंद करना

*1798. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत, मेहसी के बीचों बीच मुख्य सड़क के किनारे अवैध बूचड़खाना संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्टेट एस0पी0सी0ए0 (सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी टू एनिमल्स) बिहार के सचिव के पत्रांक 51/21, दिनांक 17 जुलाई, 2021 के द्वारा एस0पी0, मोतिहारी को उक्त सन्दर्भ में जानकारी भी दी गयी लेकिन अबतक कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बूचड़खाना को अविलम्ब बंद करवाकर दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नये राशन कार्ड का आवेदन

*1799. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड में लाभुकों को नये राशन कार्ड बनवाने हेतु बाहर से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जिसमें उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से नये राशन कार्ड का आवेदन लेने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद्यान्न वितरण कराना

*1800. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जन-वितरण प्रणाली दूकानदार अब इपीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत बिक्री का कार्य करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इपीओएस मशीन बिक्री से लेकर भंडार की अद्यतन स्थिति भी सत्यापित करती है, जिसके सारे रिकार्ड स्वयं रखने के बावजूद विभाग द्वारा पी0डी0एस0 दूकानदारों से बिक्री पंजी एवं भंडार पंजी संधारण कराया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुरानी बिक्री पंजी एवं भंडार पंजी संधारण का कार्य बंद कराने एवं केवल बायोमेट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न वितरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) ओदश, 2016 के कंडिका-14 (vi) में प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारकों के अभिलेखों अर्थात स्टॉक रजिस्टर निर्गम या विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत विहित फार्मेट में करेगा, जिसमें अनुक्रमिक रीति में इलैक्ट्रॉनिकी फार्मेट भी रहेगा। साथ ही कंडिका-14 (ix) में प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक मास के अंत में उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्नों के वास्तविक वितरण तथा शेष स्टॉक के लेखों का प्रतिवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को स्थानीय मुखिया या नगर निकाय के प्रमुख, जैसा मामला हो तथा स्थानीय सतर्कता समिति के किसी एक सदस्य के सत्यापन के साथ समर्पित करेगा और उसकी एक प्रति पंचायत या नगर निकाय को भेजेगा ।

(3) सम्प्रति प्रावधानों में संशोधन विचाराधीन नहीं है।

विचार रखना

*1801. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में लेखा पदाधिकारी के पद पर महालेखाकार, बिहार कार्यालय के पदाधिकारी कार्यरत हैं, जिसपर प्रशासी विभाग का नियंत्रण नहीं रहने से विभाग का कार्य प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कार्यहित में सभी जिलों में पदस्थापित लेखा पदाधिकारियों का नियंत्रण प्रशासी विभाग को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पंचायत सरकार भवन बनवाना

*1802. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड अंतर्गत बागवन पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए ख़ाता-75, खेसरा-230, थाना-264, रकबा 12 कट्ठा 8 धूर जमीन का प्रस्ताव भेजा गया है जबकि उक्त वर्णित जमीन स्व0 रामू कामती, पिता-स्व0 मोती कामती को जमीनदार बैकुंठ नारायण सिंह के हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है, जिसका लगान रसीद भी स्व0 रामू कामती, पिता-स्व0 मोती कामती के नाम से कट रहा है और जमा बंदी कायम है, लगान रसीद अभीतक होते आ रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित निजी जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रस्ताव को खारिज करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण करना

*1803. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत नरकटियागंज नगर के वार्ड स० 11, 14, 15 एवं 16 में नल-जल योजना का कार्य पूरा किये बिना विगत 6 माह पूर्व संवेदक द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन हस्तांतरित करना

*1804. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता विधान सभा क्षेत्र के परबत्ता अंचल अन्तर्गत मौजा सोढ़, थाना सं०-347 में खेसरा सं० 32, 36, 37 एवं 190 में 35 एकड़ गैरमजरूआ जमीन एवं एन०एच० 31 पसराहा थाना के आस-पास 100 एकड़ गैरमजरूआ जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन ने उक्त जमीन वियाडा को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव एक वर्ष पूर्व भेजा है, परन्तु विभाग द्वारा उक्त जमीन वियाडा को अबतक हस्तांतरित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वियाडा को जमीन हस्तांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली करना

*1805. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "कृषि विभाग में 866 बी०ए०ओ० समेत नौ हजार पदों पर होगी बहाली" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2019 के बाद नयी नियुक्तियाँ नहीं किये जाने के कारण प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्यवक, प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी, कृषि सहायक, तकनीकी प्रबंधक समेत हजारों पद खाली पड़े है, जिससे राज्य के किसानों पर इसका दुस्प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कृषि विभाग में खाली पदों पर कबतक बहाली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का चौड़ीकरण व नव-निर्माण कराना

*1806. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत रक्सौल नगर परिषद् क्षेत्र में बैंक रोड होते हुये एक्सचेंज रोड तक की सड़क जर्जर एवं सतह नीचे होने तथा दोनों तरफ व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने से ई-रिक्शा, ठेला, टू व्हीलर, राहगीरों और ग्राहकों को पैदल आने-जाने में भी परेशानी होती है तथा सड़क की चौड़ाई कम होने से अतिव्यवस्तम इस रोड में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का चौड़ीकरण व नव-निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधूरे ओवर हेड टैंक के कार्य को पूरा कराना

*1807. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 में पटना जिला अन्तर्गत पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र में पाँच स्थानों यथा, खाजेकलां, मंगल तालाब, सिटी अंचल कार्यालय, कटरा बाजार और दीदारगंज में आर०सी०सी० ओवर हेड टैंक का निर्माण कराया गया ताकि इस ओभर हेड टैंक के माध्यम से लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सके, जो अबतक पूरा नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अधूरे ओवर हेड टैंक को पूरा करने के लिये 2020 में नगर निगम में पुनः निविदा प्रकाशित किया, परन्तु कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस अधूरे ओवर हेड टैंक के कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विज्ञापन निकालना

*1808. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के मुख्य कार्यालय में महापौर की अध्यक्षता में दिनांक 02 जून, 2022 को सशक्त स्थायी समिति की 56वीं साधारण बैठक में नगर मुख्य अभियंता के कार्यालय में लंबित कार्यों का अविलंब निपटारा हेतु प्रस्ताव संख्या 293 के माध्यम से एक सहायक अभियंता (डिग्रीधारी) एवं तीन कनीय अभियंता (डिप्लोमाधारी) के पद पर दक्षकर्मी उपलब्ध कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रस्ताव पारित होने के सात माह बीत जाने के बावजूद अभीतक सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु स्थानीय समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अविलंब विज्ञापन निकालने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुकदमा दर्ज करना

*1809. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर अंचलान्तर्गत नगर परिषद् वार्ड नं० 37 में गोला रोड स्थित सोनु मार्केट से रामाशीष अपार्टमेंट होते हुये बेली रोड दिघा लिंक पथ को जोड़ने वाली सड़क निर्माणाधीन पाटलीपुत्र जंक्शन के पश्चिम छोर पर जाने का महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क में डॉ० अमरनाथ प्रसाद शिवकाशी हॉस्पिटल पश्चिम और चैमहान (कुसुमपुरम कॉलोनी) से पूरब राधे इलेक्ट्रीकल के पास पक्की सड़क से सटे दक्षिण भाग की सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर चहारदीवारी का निर्माण कार्य करा दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा दर्ज करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का मरम्मत कराना

*1810. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत परबत्ता और गोगरी प्रखंड में नल जल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने का कार्य कराया गया था जिसके कारण सड़कों को तोड़ा गया, परंतु सड़क की अबतक मरम्मत का कार्य पूरा नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में नल-जल योजना अन्तर्गत तोड़े गये सड़क का मरम्मत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन को बनवाने के साथ साफ-सफाई एवं चहारदीवारी कराना

*1811. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखण्ड-इटाढ़ी में स्थित ई-किसान भवन अर्धनिर्मित तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके चारो तरफ गंदगी का अंबार एवं पानी लगा हुआ है तथा साथ ही भवन का चहारदीवारी भी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भवन को बनवाने के साथ साफ-सफाई एवं चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल जल अंतर्गत पाइप बिछाकर लोगों को पानी उपलब्ध कराना

*1812. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत गोनपुरा, फुलवारी शरीफ के सरैया ग्राम में एवं ग्राम गोनपुरा से बझनपुरा के तरफ जानेवाली सड़क के दक्षिण तरफ नल-जल योजना अन्तर्गत पाइप नहीं बिछाये जाने के कारण लोग शुद्ध पेयजल से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित गांव में नल-जल अंतर्गत पाइप बिछाकर लोगों को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाना

*1813. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट विधान सभा क्षेत्र में तालाबों की संख्या अधिक होने के बावजूद एक भी मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड कुचायकोट एवं पंचदेवरी में मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कुचायकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुचायकोट एवं पंचदेवरी प्रखंड है जिसमें जलकरों की संख्या क्रमशः 139 तथा 27 अर्थात कुल 166 जलकर है । ज्ञातव्य हो कि राज्य अंतर्गत सभी जिलों के मत्स्य कृषकों को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर शत-प्रतिशत अनुदान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाता है । जिसमें गोपालगंज जिलों के मत्स्य कृषकों को भी प्रशिक्षण कराया जाता है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कुचायकोट एवं पंचदेवरी में मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आवासीय स्टाफ क्वाटर जीर्णोद्धार कराना

*1814. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी के लिये 20 वर्ष पूर्व स्टाफ क्वाटर बनाया गया था, जिसमें स्थानीय विभागीय कर्मचारी, अधिकारी परिवार के साथ रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्टाफ क्वाटर का जब से निर्माण हुआ है तब से अभीतक मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ है जिससे आवासीय भवन जर्जर हो गया है, जिसके कारण कभी भी विभागीय कर्मचारी, अधिकारी के परिवार के साथ बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आवासीय स्टाफ क्वाटर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । पदाधिकारियों के आवासों का मरम्मती कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया है ।

(3) कर्मचारी आवासों के जीर्णोद्धार/मरम्मती संबंधी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । प्राक्कलन स्वीकृति के उपरांत निधि उपलब्धता के अनुरूप जीर्णोद्धार/मरम्मती संबंधी कार्य कराया जायेगा ।

गंदे पानी को साफ करवाना

*1815. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय अन्तर्गत नाले का तमाम गंदा पानी बुढ़नद नदी में गिरता है जिससे नदी का पानी दुष्प्रभावित होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नियमानुसार गंदे पानी को नदी प्रवाहित करने से पूर्व साफ किया जाना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब नदी के पानी को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्रय करवाना

*1816. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2022-23 में 15 फरवरी तक ही धान की खरीददारी होनी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिले में धान खरीद हेतु 332 समितियों का चयन कर 8877 निबंधित किसानों से महज 57 हजार 768 मीट्रिक टन धान क्रय सितम्बर 2022 तक किया गया है, जबकि लक्ष्य 1,67,213 मीट्रिक टन धान का था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक लक्ष्य के अनुरूप धान क्रय करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में 332 समितियों का चयन जिला टास्क फोर्स द्वारा किया गया है । राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य (खरीफ विपणन मौसम, 2022-23) 15 नवम्बर, 2022 से प्रारंभ हुआ था ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गया जिला को 1,67,213 (एक लाख सड़सठ हजार दो सौ तेरह) मे०टन धान अधिप्राप्ति करने का लक्ष्य दिया गया जिसके विरुद्ध कुल चयनित 332 समितियों द्वारा निर्धारित अवधि (15 फरवरी, 2023) तक 1,67,000.75 (एक लाख सड़सठ हजार दसमलव सात पाँच) मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गई जो लक्ष्य का लगभग शत-प्रतिशत है । (99.87 प्रतिशत)

दाखिल-खारिज का निष्पादन कराना

*1817. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के डुमरा अंचल के भासर गोट ग्राम निवासी के दाखिल-खारिज याचिका संख्या 75101, दिनांक 28 सितम्बर, 2022, वाद संख्या 10517/2022-23 का निष्पादन ससमय नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार दाखिल-खारिज का निष्पादन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एकड़ जमीन का मौखिक हस्तांतरण एम्स दरभंगा को करना

*1818. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा में राज्य का दूसरा एम्स का निर्माण प्रस्तावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एम्स के निर्माण हेतु डी0एम0सी0एच0, दरभंगा परिसर की 200 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें लगभग 81 एकड़ जमीन का मौखिक हस्तांतरण भी कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक शेष बचे 119 एकड़ जमीन का मौखिक हस्तांतरण एम्स, दरभंगा को करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निस्तारण की व्यवस्था करना

*1819. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला सहित प्रदेश के सभी जिला में मवेशी के मृत्यु उपरान्त मवेशी के मृत शरीर के निस्तारित हेतु कोई स्थान चिह्नित नहीं है, जिसके कारण पशु पालक द्वारा मवेशी के मृत्यु उपरान्त मृत पशु को जहाँ-तहाँ फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं आमजन को वायु प्रदूषण की वजह से काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में पूर्णियाँ सहित प्रदेश के सभी जिला में मृत पशु के शरीर का निस्तारण हेतु स्थान चिह्नित कर निस्तारण की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1820. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड मुख्यालय में स्थित अंचल कार्यालय की भूमि का अतिक्रमण स्थानीय लोगों द्वारा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*1821. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के पचरूखी अंचल के अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी दाखिल-खारिज के नाम पर आमजनता का शोषण किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वीकृति प्रदान कर योजनाओं को क्रियान्वित करना

*1822. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा खासकर बरसात के दिनों में लगभग जलमग्न रहता है जिसके कारण आम नगरवासियों को लगभग 3 माह नारकीय जीवन जीने के लिये बाध्य होना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र से जल-जमाव की समस्या दूर करने के लिये नगर परिषद् (अब नगर निगम), समस्तीपुर ने उचित माध्यम से (अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा), स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का प्रोजेक्ट तैयार कर मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज, उत्तर बिहार उप-भाग, नगर विकास एवं आवास विभाग (बुडको, पटना) को अपने पत्रांक 148, दिनांक 21 अप्रील, 2021 द्वारा प्रस्ताव भेजा है जो अभीतक लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल-जमाव की समस्या को दूर करने हेतु प्रस्तावित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1823. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''दुकान में पी0ओ0एस0, जी0पी0एस0 लगी गाड़ी से को पहुँचाया चावल-गेहूँ'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला में मृत जन-वितरण प्रणाली विक्रेता के नाम पर अप्रील से सितम्बर, 2021 के बीच 15 लाख से अधिक रुपये के अनाज का फर्जी आवंटन किया गया, यदि हाँ, तो सरकार पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में समरूप मामलों की पहचान कर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चौर विकास योजना को लागू कराना

*1824. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नरपतगंज प्रखंड सहित अररिया जिला में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु चौर विकास योजना लागू नहीं किये जाने से मत्स्य पालकों को इससे होने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ता है, जबकि उक्त योजना लाभ बिहार राज्य के अन्य जिलावासियों को मिल रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नरपतगंज प्रखंड सहित अररिया जिला में चौर विकास योजना को लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के चौर बाहुल्य क्षेत्र में प्रथम चरण में राज्यादेश संख्या 2559, दिनांक 28 जुलाई, 2022 द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना क्रियान्वित है, जिसमें नरपतगंज प्रखंड सहित अररिया जिला शामिल नहीं है । मत्स्य पालकों के लिये विभिन्न योजनाएँ यथा मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यकी विकास योजना, निजी तालाबों का जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री मत्स्य एवं रियरिंग तालाब निर्माण की योजना के अतिरिक्त अन्य कई योजनाएँ राज्य के सभी जिलों के साथ-साथ अररिया जिला में भी क्रियान्वित हैं, जिससे नरपतगंज प्रखंड सहित अररिया जिला के अन्य प्रखंड के मत्स्य पालक भी लाभान्वित हो रहा है ।

(2) उक्त खंड में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है । आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सभी चौर वाले जिलों को मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना प्रस्तावित किया जायेगा ।

कार्रवाई करना

*1825. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पैक्स के जरिए धान बिक्री करने के लिए पहले अपने जमीन के कागजात को किसानों द्वारा ऑनलाइन करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज प्रखण्ड के बौरी पैक्स अध्यक्ष द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम पर धान बिक्री करने हेतु कुल 40 एकड़ 47 डी0 जमीन के कागजात को ऑनलाइन किया गया है, जबकि वास्तविक जमीन 4 एकड़ 20.5 डी0 ही है, तथा इनके द्वारा 543 क्विंटल धान बिक्री की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नुकसान का भरपाई करना

*1826. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित ''बिहार का धान, यूपी और पंजाब से बनकर आ रहा चावल'' के शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री सहकारिता विभाग को यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पैक्सों की मनमानी से तंग आकर तथा देर से भुगतान के कारण किसानों ने अपना धान दुसरे प्रदेशों के व्यापारी, मिल मालिकों तथा बाजार में बेच दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दुसरे प्रदेश के व्यापरी 1800-1900 प्रति क्विंटल रुपये में धान खरीदकर पुनः उससे बनने वाले चावल को बिहार भेजकर मोटी रकम की वसूली करते है जबकि स्थानीय मीलों में कुटाई से चावल सस्ता मिलता ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पैक्सों की मनमानी पर लगाम हेतु कोई ठोस कानून बनाने के साथ-साथ किसानों के साथ हुए नुकसान का भरपाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*1827. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के पचीरा पंचायत के ग्राम पचीरा वार्ड नं0 8 में विगत् एक साल से हर घर नल का जल योजना से जलापूर्ति बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक अस्वीकारात्मक । वस्तुतः अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के पचीरा पंचायत के ग्राम पचीरा वार्ड 08 में अवस्थित वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना चालू है तथा इस योजना से कुल 135 घरों में जलापूर्ति की जा रही है। इस योजना से लगभग 01 कि0मी0 की दूरी पर मुखिया टोला अवस्थित है, जिसमें पुरानी सौर ऊर्जा चालित (स्वीकृति वर्ष 2014-15) मिनी जलापूर्ति योजना है। जिसका मरम्मती एवं सम्पोषण अवधि समाप्त हो गया है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण विगत सात दिनों से जलापूर्ति बाधित थी, जिसका निराकरण कर जलापूर्ति चालू कर दी गई है। वर्णित वार्ड संख्या 08 में ही लगभग 02 किलोमीटर की दूरी पर एक महादलित टोला है जिसमें नये योजना की आवश्यकता है। जिसका प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। स्वीकृति के उपरांत योजना के लाभ से वंचित घरों को आच्छादित कर दिया जायेगा ।

जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना

*1828. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के बंधवा पंचायत के ग्राम गंडौल में कोशी बांध के सड़क पर स्थित चौक को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु ग्रामीणों द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2020, 15 अक्टूबर, 2020, 3 मई, 2021, 8 अगस्त, 2021, 26 फरवरी, 2022, 17 नवम्बर, 2022 एवं दिनांक 5 जनवरी, 2023 को जिलाधिकारी सहरसा एवं अंचलाधिकारी महिषी को आवेदन दिया गया है, इसकी जांच कराकर उक्त सड़क की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण कराकर आमजनों को जल-जमाव से निजात दिलाना

*1829. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 333 पर अवस्थित झाझा नगर परिषद् के वार्ड नं0 17 एवं 18 (चरघरा एवं भलुआ) में राजमार्ग के दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाला नहीं होने के कारण घरों में जल-जमाव की स्थिति सालोभर बनी रहती है, जिससे आम जन-जीवन कष्टमय रहता है एवं गंभीर बीमारियां फैलने का भी खतरा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्डों से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 333 के दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कराकर आमजनों को कबतक जल-जमाव से निजात दिलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1830. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड-पंचदेवरी में पशु चिकित्सालय नहीं रहने के कारण पशुपालकों को पशुओं का इलाज करवाने में परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पशुपालकों को पशुओं का इलाज कराने के लिए उक्त प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड-पंचदेवरी में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सिकटिया खास प्रखण्ड मुख्यालय, पंचदेवरी के जल संसाधन विभाग के भवन में फरवरी 2014 से संचालित है।

पशु चिकित्सालय, सिकटिया खास, पंचदेवरी में पशु चिकित्सक पदस्थापित है, जिनके द्वारा पशु चिकित्सालय सुविधा पशुपालकों को उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2022-23 (जनवरी-2023 तक) में पशु चिकित्सक द्वारा चिकित्सा 1265 एवं टीकाकरण कार्य 31600 किया गया है।

सड़क का निर्माण

*1831. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद् क्षेत्र स्थित सिमरी बख्तियारपुर, शर्मा चौक से अनुमंडल मुख्यालय तक जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क जर्जर है, जिस कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1832. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया नगर पंचायत स्थित तुरकाहां नाला की जमीन अतिक्रमित होने की वजह से उसके पानी का बहाव बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तुरकाहां नाला की जमीन का पैमाइश करवाकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*1833. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में भूमिहीनों को 03 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड के परसामाधों, नौआ बाखर, बौराहा, मौजहा, दूबियाही, सुखासन सहित अन्य पंचायतों में निवास कर रहे भूमिहीनों को 03 डिसमिल जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण सरकारी लाभ से वंचित रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायतों के भूमिहीन परिवारों को 03 डिसमील जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद कारखाना खोलना

*1834. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 के प्रकाशित शीर्षक "केन्द्र से राज्य को 21 प्रतिशत यूरिया कम मिली" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त मात्रा में खाद्य की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य की आपूर्ति नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में अपना खाद कारखाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह बनाना

*1835. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार अनुमंडल में विद्युत् शवदाह गृह नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में बाढ़ की वजह से लोगों को अपने परिजनों के दाह-संस्कार में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त अनुमंडल में विद्युत् शवदाह गृह बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*1836. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 बजीरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया शहर अन्तर्गत मानपुर के सात बार्डों का जलापूर्ति हेतु जलमिनार एव पाइप लाइन बिछाने का कार्य श्री राम एजेंसी चेन्नई द्वारा कराया गया था,

परंतु उक्त योजना का कार्यान्वयन अबतक नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार इसके लिये दोषी एजेंसी पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क पक्कीकरण एवं नाला का निर्माण कराना

*1837. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के मगध मेडिकल कॉलेज, हॉस्पीटल के समीप स्थित मगध कॉलोनी के रोड नं० 7 तथा 10 जर्जर है एवं नाली नहीं रहने के कारण सालोंभर जल-जमाव रहता है, जिससे आमजनों को आवागमन में कठिनाई होती है, जबकि उक्त कॉलोनी में अधिकांशत: मगध मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तथा अस्पताल के कर्मियों का आवास है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़कों का पक्कीकरण तथा नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दुकानों को शिफ्ट करवाना

*1838. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के हाजीपुर स्टेशन रोड एवं अस्पताल रोड के किनारे फल एवं सब्जी वालों का दुकान लगा रहता है, जिससे आमजनों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही आये दिन दुर्घटना होते रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फल एवं सब्जी दुकानों को अन्य जगह शिफ्ट कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति

*1839. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचौल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत बिस्फी अंचल में 28 पंचायतों जिसमें 28 कर्मचारी के विरुद्ध मात्र 16 राजस्व कर्मचारी कार्यरत है, जिसके कारण राजस्व की वसूली जमीन का मोटेशन आदि कार्य समय पर नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में रिक्त राजस्व कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोजेक्ट की जाँच करवाना

*1840. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सौरबाजार प्रखंड के कॉप, तीरी, चंदौर पूर्वी पंचायत में नल-जल से संबंधित द्वारा किये गये कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गयी है, जिसके कारण अधिकतर नल खराब हो गया है तथा मेंटेनेंस कार्य भी नहीं किया गया है, जिससे दूषित जल लोग पीने के लिये मजबूर हैं, यदि हाँ, तो सरकार सभी प्रोजेक्ट की जाँच करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*1841. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के राजा बाजार स्थित कौटिल्य नगर कॉलोनी में तुलसी बाबू पूर्व मंत्री के घर से लेकर अशोक सिंह पूर्व मंत्री के घर तक नाले का निर्माण सही ढंग से नहीं किया गया है और नाला पूरी तरह से जाम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नाला जाम रहने से जल की निकासी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है और जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, जिससे बीमारी फैलने का डर बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्जित स्थल पर नये नाले का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण करने का विचार रखना

*1842. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत प्रखंड अमौर के आपूर्ति पदाधिकारी (MO) तीन वर्ष से अधिक अवधि से अमौर में पदस्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नियमत: कोई भी पदाधिकारी तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थापित नहीं रह सकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पदस्थापित अमौर के साथ उक्त प्रखंड में तीन वर्षों से अधिक अवधि से पदाधिकारियों को स्थानांतरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । जून, 2022 माह में सामान्य स्थानान्तरण/पदस्थापन की प्रक्रिया से पणन पदाधिकारी, अमौर को बाढ़ के मद्देनजर मुक्त रखा गया था ।

(2) अंशत: स्वीकारात्मक । मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक 881 दिनांक 3 जून, 2009 के आलोक में सामान्यत: तीन वर्षों की सेवाअवधि पूरी होने के पश्चात् स्थानान्तरण करने का प्रावधान है ।

(3) सरकार द्वारा ससमय यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

भवन मरम्मती एवं चहारदीवारी निर्माण सहित मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना

*1843. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत प्रखंड भगवानपुर में अवस्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का भवन एवं शेड जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तथा पशु चिकित्सालय चहारदीवारी विहीन है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सलाय में भवन मरम्मती एवं चहारदीवारी निर्माण सहित मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देना

*1844. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला प्रबंधक कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज में कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक 14 अगस्त, 2013 को सेवा काल के दौरान ही हो गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्व० जय शंकर चौधरी के मरणोपरांत मिलने वाली सभी सुविधाएं उनकी पत्नी उमा देवी को अबतक अप्राप्त है, तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 10 मई, 2016 (CWJC 6607 ऑफ 2015)

को माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा भी मरणोपरांत सभी लाभ उनके आश्रित को अविलम्ब देने का आदेश पारित किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व० जय शंकर चौधरी के पत्नी को मरणोपरांत सभी प्रकार की सुविधाएं के साथ-साथ उनके पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पत्रांक 1976 दिनांक 6 मार्च, 2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि स्व० जय शंकर चौधरी के मरणोपरान्त उनके आश्रित को अनुमान्य सभी लाभ (सेवांत लाभ एवं षष्ठम् पुनरीक्षित वेतनमान का बकाया अंतर सहित) का भुगतान कर दिया गया है ।

(3) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (मुख्यालय), पटना के ज्ञापांक 1244 दिनांक 20 फरवरी, 2002 के द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के नियमित पद समाप्त कर दिये गये हैं एवं निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक निर्धारित है । स्व० जय शंकर चौधरी के पुत्र श्री अनिल कुमार चौधरी की शैक्षणिक योग्यता इंटर है । अत: अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संभव नहीं है ।

समरसिबूल पंप सेट लगाने के लिये राशि आवंटन करना

*1845. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 3297 दिनांक 27 जुलाई, 2019 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के अंतर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों के हिलसा, कराय परवलपुर एवं थरथरी प्रखंडों में पशुओं के लिये 12 अदद् स्थानों पर सोलर चालित समरसिबूल पंप सेट निर्माण का आदेश निर्गत किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण हिलसा के पत्रांक 1739, दिनांक 3 दिसम्बर, 2022 को विभाग को सूचित किया गया कि लक्ष्य एवं राशि के अभाव में कार्य पूरा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित प्रखंडों में पशुओं के लिये समरसिबूल पंप सेट लगाने के लिये राशि आवंटन करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल हिलसा को पशुओं के लिये सोलर चालित पशुनाद (Cattle Trough) निर्माण हेतु 13 अदद् लक्ष्य के विरुद्ध विभागीय निदेशानुसार जिला स्तर से स्थल सूची प्राप्त कर 13 अदद् पशुनाद का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

जमीन का एन0ओ0सी0 देना

*1846. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड नानपुर में विद्युत् सब-स्टेशन के निर्माण हेतु अंचल अधिकारी, नानपुर द्वारा जमीन का ए0ओ0सी0 नहीं देने के कारण निर्माण कार्य वांछित है, जबकि प्रखंड नानपुर में बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार विद्युत् सब-स्टेशन बनाने के लिये जमीन का एन0ओ0सी0 देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का निबंधन करने हेतु निबंधन कार्यालय, धमदाहा से कराना

*1847. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रुपौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली विधान सभा के बड़हरा कोठी प्रखंड के नाथपुर, ओड़लाहा, पटराहा, लक्ष्मीपुर, बासदेवपुर, ढाढ़ी, अरवन्ना, चकला, भतसारा पंचायत के ग्रामीणों को जमीन के निबंधन का कार्य कराने के लिये 30 किलो मीटर की दूरी तय करके बनमनखी निबंधन कार्यालय जाना पड़ता है जिसके कारण ग्रामीणों को निबंधन कराने में काफी परेशानी होती है, जबकि उक्त पंचायत से मात्र 7-8 किलो मीटर की दूरी पर निबंधन कार्यालय, धमदाहा स्थित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत को लोगों के जमीन का निबंधन का कार्य निबंधन कार्यालय, धमदाहा से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लम्बित दाखिल-खारिज का निष्पादन कराना

*1848. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के अंचल अलीनगर में 100 एक सौ किसानों का दाखिल-खारिज का आवेदन लम्बित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अलीनगर अंचल के लम्बित दाखिल-खारिज के आवेदन बिना कारण लम्बित रखने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ लम्बित दाखिल-खारिज का निष्पादन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*1849. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम में तीन उपनगर आयुक्त सहित अन्य कर्मियों की कमी के कारण शाखा प्रभारी के पास कई शाखा का अतिरिक्त प्रभार है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भागलपुर नगर निगम में रिक्त पदों के विरुद्ध कर्मियों का पदस्थापन करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मत्स्यपालन प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

*1850. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ0जा0))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर ज़िला के बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड मुशहरी एवं बोचहाँ में मछुआरों की काफी संख्या है, परंतु मत्स्यपालन प्रशिक्षण केन्द्र नहीं रहने के कारण मछुआरा मत्स्यपालन प्रशिक्षण से वंचित हैं, यदि हाँ, सरकार कबतक उक्त स्थानों पर मत्स्यपालन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध कब्जा से मुक्त कराना

*1851. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड में तरगच्छा पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लीलावरन के सामने स्थित खेल मैदान (फील्ड) के कुछ भागों पर अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान (फील्ड) का मापी कराकर अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । समाहर्ता बाँका के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि पंचायत तरगच्छा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लीलावरन के सामने स्थित खेल मैदान (फील्ड) की भूमि अतिक्रमित नहीं है ।

अत्याधुनिक बस पड़ाव बनाना

*1852. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत अन्तर्राज्जीय लोक नायक जय प्रकाश नारायण बस पड़ाव अवस्थित है जहाँ से राज्य के विभिन्न जगहों के अलावे अन्य राज्यों के लिये भी बसे खुलती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बस पड़ाव में भवन, सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहने के कारण यात्रियों को बहुत परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोक नायक जय प्रकाश नारायण बस पड़ाव को अत्याधुनिक बस पड़ाव बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सफाई कराना

*1853. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखंड के खम्हार, मोहनपुर, बन्द्वार एवं अझोर पंचायतों के चैर क्षेत्र में वर्षा के पानी का जल-जमाव होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व में बरौनी प्रखंड के शहरी पंचायत क्षेत्र के चौर से होकर इन चौर का पानी कैथ पंचायत के कोला नदी में गिर जाता था, परन्तु अब इन चौरों का सम्पर्क कोला नदी से कट जाने के कारण जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है जिसके कारण विगत 2-3 वर्षों से किसानों का फसल नहीं हो रहा है, जिससे किसानों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों के चैर की आहार की सफाई कराकर जल निकासी कराने का विचार रखती है, हाँ, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना

*1854. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी शहर में नगरपालिका के सामने वार्ड नम्बर 14 में नगर उद्यान सीता कुंज पार्क अवस्थित है जो जर्जर स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी शहर के बीच एकमात्र पार्क होने के कारण बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ के लिये उक्त पार्क में टहलने जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पार्क का उन्नयन कार्य के साथ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घाट का निर्माण

*1855. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत पटना रिभर फ्रंट फेज-1 के तहत 20 घाटों का निर्माण की स्वीकृति दिनांक 19 जून, 2013 को मिली थी जिसमें तीन घाट यथा भद्रघाट, महावीर घाट एवं नौजर घाट का निर्माण अबतक नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त तीनों घाटों के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक शौचालय बनवाने एवं हाइ मास्क लाइट लगाना

*1856. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्डाधीन लोहागाड़ा में मवेशी हाट एवं लकड़ी का प्रसिद्ध बाजार है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों रुपया का लगान वसूला जाता है, किन्तु आमजनता की सुविधा के नाम पर नही कोई सार्वजनिक शौचायल है और न ही हाइ मास्क लाइट, जिस कारण मवेशी व्यापारियों के साथ छिनतई की घटनाएं होती रहती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आमजनता एवं व्यापारियों को सुविधा एवं सुरक्षा हेतु उक्त बाजार में सार्वजनिक शौचालय बनवाने एवं हाइ मास्क लाइट लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पक्की सड़क का निर्माण कराना

*1857. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के नगर परिषद् क्षेत्र शेखपुरा अन्तर्गत वार्ड नं0-04 के महारानीपुरम में पवन सिंह के घर से मनीष कुमार के घर तक जाने के लिए कच्ची सड़क है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थल पर नाली सहित पक्की सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुज्ञप्ति निर्गत करना

*1858. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग के पत्रांक प्र07-विविध -16/2015-379, दिनांक 26 अगस्त, 2022 के माध्यम से राज्य के सभी 38 जिलों के जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि मानक जनसंख्या के अनुसार जन-वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की रिक्ति सृजन कर नई अनुज्ञप्ति निर्गत की जाय परन्तु उक्त निदेश के आलोक में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पत्र के आलोक में सभी 38 जिलों जन-वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति कबतक निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वित विभाग के उक्त अधिसूचना को राज्य के नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों में लागू कराना

*1859. श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-97 पारू)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित विभाग के अधिसूचना सं0 3-ए-5से0नि0-10/2018 (अंश) 6745, पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2015 द्वारा राज्य के सभी होमियोपैथ, यूनानी एवं आयुर्वेद चिकित्सकों की उम्र सीमा 67 वर्ष की गई है, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत राज्य के नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों में कार्यरत होमियोपैथिक चिकित्सकों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है जिससे उक्त चिकित्सकों में काफी उदासीनता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वित विभाग, के उक्त अधिसूचना को राज्य के नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों में लागू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1860. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है बिहार एण्ड उड़ीसा म्यूनिसिपल सर्वे एक्ट 1920 के अन्तर्गत भागलपुर जिलाअंतर्गत नवगछिया को 03 वार्डों में विभक्त कर वर्ष 1980 में सर्वे की प्रक्रिया के तहत वार्ड 01 एवं 02 का फाइनल खतियान प्रकाशित कर संबंधित रैयातों को 25 जून, 2002 में जमीन बांटी गयी परन्तु वार्ड 03 का कार्य आजतक लंबित है जिस कारण वार्ड 03 के रैयतों की जमीन पर बाहुबलियों एवं नगर परिषद् द्वारा जबरन दुकान खोलकर अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे प्रशासन भी अवगत है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वार्ड संख्या 03 का फाइनल खतियान प्रकाशित करते हुए रैयतों को उनकी अतिक्रमित जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया चापाकल गाड़ना

*1861. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के इसुआपुर प्रखंड के डोइला बाजार में शिव मंदिर के पास स्थित खराब चापाकल को एक वर्ष पूर्व उखाड़ा गया, परंतु उखड़े चापाकल की जगह अभीतक चापाकल नहीं गाड़ा गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर उखाड़े गये चापाकल की जगह नया चापाकल गाड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभार मंत्री--स्वीकारात्मक है। जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण चापाकल को उखाड़ा गया है। वर्तमान में मंदिर परिसर में एक अदद साधारण चापाकल चालू अवस्था में है। साथ ही नल-जल का दो अदद कनेक्शन दिया गया है, जिससे ससमय पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर के 20 फीट की दूरी पर एक साधारण चापाकल लगा है। दो अदद (टैप कनेक्शन) गृह जल संयोजन किया गया है, जो चालू अवस्था में है। साथ ही आस-पास के दुकानों को भी गृह जल संयोजन से पानी मिल रहा है। मंदिर परिसर एवं आस-पास में पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

निर्माण कराना

*1862. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव प्रखंड के कोदवार पंचायत में वार्ड संख्या 1 से 6 में जलमीनार नहीं रहने के कारण पानी की आपूर्ति बोरिंग से सीधे लोगों के घरों तक की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिजली नहीं रहने पर बोरिंग का मोटर नहीं चलने के कारण समय पर जलापूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे "हर घर नल-जल" योजना का समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके में पेयजल के समुचित लाभ हेतु जलमीनार का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक । भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव प्रखंड के कोदवार पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 6 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना कोदवार द्वारा सीधी जलापूर्ति किया जाता है एवं योजना में जलमीनार का प्रावधान नहीं है ।

विद्युत् आपूर्ति की स्थिति अच्छी रहने के कारण जलमीनार का निर्माण आवश्यक नहीं है। सीधी जलापूर्ति द्वारा नियमित जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में पेयजल की कोई समस्या नहीं है ।

निर्माण करना

*1863. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर प्रखंड अन्तर्गत गोला रोड, पटना से पूरब जाने वाली एफ०सी०आई० रोड में सेंट कैरेन्स स्कूल, गोला रोड से हनुमान मंदिर तक जाने वाले पथ में पक्की सड़क नहीं होने के कारण आमलोगों एवं छात्र-छात्राओं को काफी समस्या होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ का पक्कीकरण एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाना

*1864. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला बोचहां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मुशहरी एवं बोचहां प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज, जमालाबाद के बरदमियां, जमालाबाद, झापहाँ पंचायत के झपहाँ, भिखनपुर पंचायत के भिखनपुर, कन्हौली, विशुनदत्त पंचायत के दीघरा एवं मणिका हरिकेश पंचायत के सुतिहारा चौर में बाढ़ एवं बारिश के पानी का जल-जमाव रहने के कारण कृषि कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायतों के चौर को जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1865. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिले के बसन्तपुर प्रखंड के मौजा बसांव थाना संख्या 85, खाता संख्या 73, खेसरा संख्या 4099, रकबा तीन कट्ठा जमीन बंदोबस्ती अभिलेख संख्या 04/2001-02 के आलोक में बंदोबस्त की गयी जमीन पर वर्षों से शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे परिवार को विगत 29 जनवरी, 2023 को बुलडोजर से स्थानीय प्रशासन द्वारा उजाड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*1866. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वांछित लोगों का नाम राशन कार्ड हेतु चयनित होने के बाद उसे जोड़े जाने की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से की जाती है जिसमें वर्षों लग जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार राशन कार्ड में नाम जोड़ने की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारियों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानानुसार, राज्य में राशन कार्ड की पात्रता रखने वाले लाभुकों का नाम जोड़ने, संशोधन एवं राशन कार्ड रद्दीकरण हेतु नामनिर्दिष्ट एवं सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी है। मुख्यालय द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु केवल ऑनलाइन पोर्टल एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है।

दुकान उपलब्ध कराना

*1867. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर में स्थित विपणन बाजार समिति में दुकान नहीं रहने से फल एवं सब्जी व्यापारियों को फूटपाथ पर दुकान लगाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार बाजार समिति दाउदनगर में फूटपाथ दुकानदारों को कबतक दुकान उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी राशि के जमा/निकासी करना

*1868. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी को-ऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक/नवार्ड द्वारा बनाये गये सभी प्रावधानों को पूरा करते हुये वित्तीय कार्य का निष्पादन करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी को-ऑपरेटिव बैंक में सरकारी राशि का जमा/निकासी नहीं किया जाता है, जिससे इसको लेकर जनता में भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं को-ऑपरेटिव बैंकों के कार्य क्षमता भी प्रवाहित होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से सरकारी राशि के जमा/निकासी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई करना

*1869. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के घोषी प्रखंड अन्तर्गत मौजा अहियासा, थाना नम्बर 584, खाता संख्या 19, प्लॉट संख्या 928/1811, रकबा 03.64 डिसमिल आम गैर-मजरूआ जमीन को अतिक्रमण वाद संख्या 02/2022, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को अंचलाधिकारी, घोषी द्वारा खाली करा दिया गया था, जिसे पुनः दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीन को खाली कराने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बंद पशु चिकित्सालय खोलना एवं चिकित्सकों की पदस्थापना कराना

*1870. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनिया प्रखंड में अवस्थित पशु चिकित्सालय, पदमा में पशुओं का गर्भाधान तथा पशुओं का इलाज किया जाता था परन्तु उक्त चिकित्सालय के बंद हो जाने से उक्त प्रखंड के लोगों को अपनी पशुओं के इलाज हेतु लगभग 10 किलो मीटर की दूरी तयकर लदनिया जाना पड़ता है या अन्य प्राइवेट चिकित्सालय में इलाज कराना पड़ता है जिसमें अधिक खर्च होता है साथ ही दूरी के कारण पशु की मृत्यु भी हो जाती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बंद पड़ी पदमा पशु चिकित्सालय को पशुओं के इलाज हेतु पुनः खोलते हुये पशु चिकित्सकों की पदस्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनिया प्रखंड के पंचायत/ग्राम-पदमा में प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय नहीं है । वहाँ पर पशु चेकपोस्ट था, जो विगत 12-13 वर्षों से बंद है ।

पदमा पशु चेकपोस्ट से 2 किलो मीटर की दूरी पर प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, योगिया संचालित है । जहाँ पशु चिकित्सक पदस्थापित हैं जिनके द्वारा पदमा पंचायत के पशुओं का भी इलाज किया जाता है ।

वर्तमान में सात निश्चय 2 के तहत पशुपालकों के द्वारा (डोरस्टेप) पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है ।

(2) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

सड़क का चौड़ीकरण एवं नाला का निर्माण कराना

*1871. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नम्बर 30, 32 के स्टेशन चौक से राधास्वामी होटल होते हुये गाँधी चौक तक 500 मीटर की नाला-सह-सड़क संकीर्ण है, जिसके कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे यातायात बाधित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचल अधिकारी का पदस्थापना

*1872. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के अंचल अलीनगर एवं घनश्यामपुर अंचल में अंचल अधिकारी का पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों अंचल में अलीनगर अंचल के राजस्व पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के प्रभार में है, जिससे जनता का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अलीनगर अंचल एवं घनश्यामपुर अंचल में अंचल अधिकारी का पदस्थापना करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*1873. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत गडहनी के स्टेडियम जाने का रास्ता अत्यंत जर्जर है एवं मिट्टी भरकर छोड़ दिया गया है, बरसात होने पर स्थिति नारकीय हो जाती है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार गडहनी स्टेडियम जाने वाले पथ के पक्कीकरण एवं नाला निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1874. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गया नगर निगम अन्तर्गत व्हाईट हाउस मोहल्ला स्थित तालाब/पोखर जो सैकड़ों साल पुराना है जिसका खाता नम्बर 3, प्लॉट नम्बर 4821 (पुराना), 1488 (नया) एराजी लगभग 8-10 कट्टा गहराई 7-8 फीट है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तालाब/पोखर को असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर उसे भरा जा रहा है, जिससे भू-जल संरक्षण एवं पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त तालाब का अतिक्रमण मुक्त कराते हुये दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना को कार्यान्वित कराना

*1875. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ प्रखण्ड के पंचायत दोना एवं तुंगी तथा नरहट के खनमां पंचायत के वाजीतपुर में नल-जल योजना के तहत बोरिंग एवं पाइल लाईन बिछाने का कार्य किया गया जो मानक के अनुरूप नहीं कराये जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है, तथा उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए नल-जल योजना को कार्यान्वित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ देना

*1876. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत रानीगंज के वार्ड नं0-3 कलावती नगर के आधे भाग में लोगों को हर घर नल का जल योजना से आच्छादित नहीं किय गया है तथा आधे भाग में पाइप बिछा है, परन्तु जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है, जिससे पूरा वार्ड इस योजना के लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड को जलापूर्ति योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1877. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक, बिहपुर एवं नारायणपुर प्रखंड के 37 पंचायतों में से 32 पंचायतों में कार्य की गुणवत्ता खराब होने के कारण नल-जल योजना का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी के खिलाफ कबतक विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

*1878. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं0 19 एवं 21 के हलीम चौक से पुराना खगड़ा तक की सड़क जर्जर है जिससे आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त कराना

*1879. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के रोहतास, सासाराम जिला परिषद् डाकबंगला हाता में निर्मित दुकान संख्या 15 (धरातल और ऊपरी तल) पर श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह के अवैध कब्जा को खाली करने के लिए उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् रोहतास, सासाराम ने अपने पत्रांक 317, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 100 दिनांक 20 मार्च, 2021, 170 दिनांक 5 जुलाई, 2022 द्वारा नोटिस दिया है, लेकिन अब तक खाली नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दुकान को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

योजना को पुनः बहाल करना

*1880. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के टंडवा में नल-जल योजना से स्थापित पेयजल आपूर्ति एक वर्ष पूर्व से बन्द है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बन्द पड़े पेयजल आपूर्ति को पुनः बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड के टंडवा पंचायत में कुल 15 वार्ड है जिसमें 05 (1, 3, 6, 10 एवं 15) वार्डों में पी0एच0ई0डी0 द्वारा ''हर घर नल का जल'' योजना का कार्य किया गया है जिससे ग्रामीणों को नियमित पेयजलापूर्ति की जा रही है।

शेष 10 वार्डों (02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13 एवं 14) में पंचायती राज विभाग अंतर्गत WIMC के माध्यम से ''हर घर नल का जल'' योजना का कार्य किया गया है। इससे संबंधित उत्तर हेतु प्रश्न इस कार्यालय के पत्रांक 433, दिनांक 6 मार्च, 2023 द्वारा पंचायती राज विभाग को स्थानांतरित किया जा रहा है।

वार्ड संख्या-12 में अवस्थित मिनी पाइप जलापूर्ति योजना को भी दिनांक 4 जून, 2022 को पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है।

भवन निर्माण कराना

*1881. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड छोड़ाही में अवस्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का संचालन हेतु अपना भवन उपलब्ध नहीं है, जबकि पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु छोड़ाही में सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगवाना

*1882. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र स्थित प्रखण्ड-अकबरपुर, हिसुआ, एवं नरहट में विगत 07 वर्ष पूर्व में चापाकल लगाया गया था जो पानी का जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण बंद पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पुराने खराब चापाकलों को उखाड़ कर उच्च कोटी सामग्री का उपयोग करते हुए चापाकल गड़वाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*1883. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के पिपराही गांव स्थित शमशान घाट में विद्युत् ताप शवदाह गृह एवं शेड का निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में विद्युत ताप शवदाह गृह एवं शेड का निर्माण के अभाव में दाह कर्म करने में काफी कठिनाई हो रही है जबकि सरकार प्रत्येक प्रखंड में विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के लिये संकल्पित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पिपराही ग्राम में विद्युत् ताप शवदाह गृह एवं शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1884. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के केवटी प्रखंड के ग्राम पंचायत छतवन में पशु चिकित्सालय है जिसका भवन जर्जर स्थिति में है तथा चिकित्सालय भवन का लोगों द्वारा अतिक्रमण कर भूसा, गोबर रखने का काम किया जा रहा है जिस कारण पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय भवन का जीर्णोद्धार कराने के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया वेतन का भुगतान

*1885. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बायसी प्रखंड के लगभग 17 पंचायतों में नल-जल संचालकों को प्रतिमाह 3000 रुपये दिया जाता है, पर 2021 से उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के नल-जल संचालकों को बकाया वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । पूर्णियाँ जिला के बायसी प्रखंड के 17 पंचायतों में निर्मित हर घर नल-जल योजना के पम्प चालकों का मानदेय भुगतान एकरारनामा में निहित प्रावधान के तहत संवेदकों के द्वारा किया जाता है । कुछ पम्प चालकों का मानदेय का भुगतान बकाया है, जिसे शीघ्र ही भुगतान करा दिया जायेगा ।

चुनाव कराना

*1886. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 10 न०वि०/विविध-54/2021-3752 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 द्वारा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत, घोड़ासहन की अधिसूचना जारी की गई थी, परंतु सभी प्रक्रियाओं के पश्चात् भी अबतक नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक घोड़ासहन को नगर पंचायत का दर्जा देते हुये चुनाव कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ देने का विचार

*1887. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत सोनबरसा प्रखंड के दलकावा ग्रामवासी श्री राम सिकिल सहनी, पिता मोहन सहनी का चयन उन्नत इनपुट योजना अतिपिछड़ा वर्ग 2021-22 के तहत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना अन्तर्गत एक एकड़ जल क्षेत्र में लागत 60,000 रुपया में 54,000 रुपया राशि अनुदान के रूप में मिलने का प्रावधान है, परन्तु अभीतक सभी कागजात जमा करने के बावजूद राम सिकिल सहनी को उन्नत इनपुट योजना पिछड़ा वर्ग 2021-22 का लाभ नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये श्री राम सिकिल सहनी को उन्नत इनपुट योजना पिछड़ा वर्ग का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति हेतु चावल मिल मालिकों को अनुमति देना

*1888. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''उसना-अरवा मिल विवाद में पीस रहे हैं राज्य के किसान'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने चावल मिल मालिकों को अरवा चावल के जगह उसना चावल की आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या कम रहने के कारण पैक्सों को धान बेचने के लिये 20 से 25 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अरवा एवं उसना दोनों चावल की आपूर्ति हेतु चावल मिल मालिकों को अनुमति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनवाना

*1889. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर, सिधवलिया एवं बरौली प्रखंड में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा नया राशन कार्ड बनाने हेतु विगत एक वर्ष पूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है जो विभाग में अबतक लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित प्रखंडों के आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन परिवारों का नया राशन कार्ड बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विकास करवाना

*1890. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अन्तर्गत अपसद गांव में 100 एकड़ का एक विशाल तालाब है, जिसमें सालों भर 6 फीट पानी रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तालाब में मछली पालन करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी की समस्या का समाधान कराना

*1891. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत पाण्डेयपट्टी, रामबाग सहित अधिकांश मुहल्ले में नाला का पानी की निकासी का व्यवस्था नहीं रहने के कारण गंदा पानी विगत पाँच वर्षों से सड़कों पर जमा रहता है, जिससे उक्त प्रभावित मुहल्लों में लोग महामारी का शिकार हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रभावित मुहल्ले में कबतक ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से जल निकासी की समस्या का समाधान कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उचित मूल्य पर यूरिया एवं डी०ए०पी० उपलब्ध कराना

*1892. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा में फसलों की बुआई के समय यूरिया एवं डी०ए०पी० खाद ससमय व उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्र में ससमय एवं उचित मूल्य पर यूरिया एवं डी०ए०पी० उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत (कोचाधामन एवं किशनगंज प्रखंड) रबी मौसम 2022-23 में दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है :--

(मात्रा मे०ट०में)

विधान सभा क्षेत्र का नाम	आच्छादन का लक्ष्य (हे०में)	उर्वरक का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं के पास स्टॉक
कोचाधामन	21367	यूरिया	4138.60	4214.73	346.81
		डी०ए०पी०	2418.83	2430.64	124.85
		एन०पी०के०	502.50	1607.69	20.30
		एम०ओ०पी०	574.74	209.84	190.15
		एस०एस०पी०	378.45	1154.29	310.65

कोचाधानम विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोचाधमन एवं किशनगंज प्रखंड में उर्वरक की कमी के कारण किसानों का फसल बर्बाद होने की सूचना नहीं है। कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत यूरिया की आवश्यकता 4138.60 मे०ट० के विरुद्ध 4214.73 मे०ट० डी०ए०पी० की आवश्यकता 2418.83 मे०ट० के विरुद्ध 2430.64 मे०ट०, एन०पी०के० 502.50 मे०ट० आवश्यकता के विरुद्ध 1607.69 मे०ट०, एम०ओ०पी० 574.74 मे०ट० के विरुद्ध 209.84 मे०ट०, एस०एस०पी० 378.45 मे०ट० के विरुद्ध 1154.29 मे०ट० उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। रसायनिक उर्वरक की आपूर्ति रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किये जाते है। उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार को अनुरोध-पत्र भेजा जाता है।

किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापामारी की जाती है। कोचाधामन विधान सभा अन्तर्गत उर्वरक प्रतिष्ठानों में भी छापामारी एवं अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है, जो निम्नवत है :--

विधान सभा क्षेत्र का नाम	छापामारी की सं०	पाये गई अनियमितताओं की सं०	अनियमितता के विरुद्ध कार्रवाई		
			प्राथमिकी की सं०	रद्द अनुज्ञप्ति की सं०	निलंबित अनुज्ञप्ति की सं०
कोचाधामन	62	14	2	3	0

कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 62 प्रतिष्ठानों पर छापामारी की गयी। 2 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं 3 प्रतिष्ठानों का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है।

औचित्य बतलाना

*1893. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के पत्रांक 03/एम/24/2021 सा०प्र० 11899, दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 द्वारा पुनर्नियुक्ति सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्ति प्रदान नहीं करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में उक्त आदेश का अवहेलना कर कुल सचिव एवं अधिष्ठाता जैसे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति कर वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रदान कर कार्यों का निवर्हन कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित है ?

स्थायीकरण करना

*1894. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में नगर विकास एवं आवास विभाग में कार्यरत 30-40 वर्षों से दैनिक मजदूरी पर एवं अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मियों को स्थायीकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दैनिक मजदूरी पर एवं अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मियों को स्थायीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*1895. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत हसपुरा प्रखंड के मल्हारा पंचायत के बड़ोखर फील्ड पर तथा टाल पंचायत के सिहारी फील्ड पर चापाकल नही होने से फील्ड पर खेलने कूदने आने-वाले लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर यथाशीघ्र चापाकल लगाने का विचार रखती है, समस्या होती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । हसपुरा प्रखंड के मलहारा एवं टाल पंचायत के सभी वार्डों में 'हर घर नल का जल' से संबंधित कार्य पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत है। वस्तुस्थिति यह है कि मलहारा पंचायत के बड़ोखर फील्ड में तथा टाल पंचायत के सिहारी फील्ड में चापाकल उपलब्ध नहीं है। जिला को नये चापाकल के निर्माण हेतु पर्याप्त लक्ष्य उपलब्ध कराये जाने पर उक्त दोनों फील्ड में चापाकल का निर्माण कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

कृषि विश्वविद्यालय लीज पर देना

*1896. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला स्थित टोबैको रिसर्च सेंटर, पूसा का भवन रख-रखाव एवं उपयोग के अभाव में जर्जर होता जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा उक्त भवन को किसानों के प्रशिक्षण एवं रिसर्च हेतु जून, 2021 से माँगा जा रहा है परन्तु अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रिसर्च सेंटर को डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को लीज पर देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा को लीज पर वर्ष 1958 में कृषि विभाग की भूमि उपलब्ध करायी गई थी । लीज की अवधि वर्ष 1988 में समाप्त हो गया था एवं टोबैको रिसर्च का कार्य भी उप हो गया था । भारतीय कृषि अनुसंधान, पूसा द्वारा लीज को बिना विस्तारित कराये अनाधिकृत रूप से कब्जा था तथा भवन की मरम्मती नहीं कराये जाने के कारण यह जर्जर अवस्था में है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । कृषि विभाग की उक्त भूमि पर 2017 से आधार बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है जिससे किसानों को नये एवं गुणवत्तायुक्त बीज सुलभ हो सके ।

उक्त प्रक्षेत्र के लिये निम्नांकित संस्थानों से 40 एकड़ भूमि हेतु प्रस्ताव विभाग को प्राप्त है ।

(i) डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के द्वारा अनुसंधान कार्य के लिये ।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर को लीज पर नवीनकरण के लिये ।

(iii) फार्म मशीनरी एवं परीक्षण संस्थान (FMTTI) की स्थापना के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति है ।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

बस स्टैण्ड का निर्माण

*1897. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत नगर परिषद्, इस्लामपुर एवं नगर पंचायत एकंगरसराय में अवस्थित बस स्टैण्ड पर शौचालय, पेयजल, कैंटीन आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने से कोई भी बस का ठहराव बस स्टैण्ड पर नहीं होता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर परिषद्, इस्लामपुर एवं नगर पंचायत, एकंगरसराय में नागरिक सुविधा से युक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1898. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के थाना शिवसागर अन्तर्गत थाना नम्बर 579, खाता नम्बर 332/क, खेसरा नम्बर 364, रकबा एक एकड़ 25 डिसमिल पुरानी परती जमीन एवं खाता नम्बर 232/क, खेसरा नम्बर 788, रकबा एक एकड़ 47 डिसमिल किस्म गड़ही के सरकारी जमीन पर अगल-बगल से लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1899. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के परैया प्रखंड मुख्यालय के समीप आवारा पशुओं के रख-रखाव हेतु कनहौज का निर्माण कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से उक्त कनहौज पर अतिक्रमण कर अतिक्रमणकारी द्वारा निजी व्यवसाय हेतु उपयोग किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कन्हौज को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये आवारा पशुओं के देख-भाल हेतु व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय खोलवाना

*1900. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के दामलबाड़ी पंचायत में पशु चिकित्सालय नहीं रहने के कारण पशुओं को चिकित्सा के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में जाना पड़ता है, जिससे आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पशु चिकित्सालय खोलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1901. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड के महिनाथपुर पशु अस्पताल सामुदायिक भवन में लखनौर प्रखंड के तमुरिया पशु अस्पताल पंचायत भवन में तथा मधेपुर प्रखंड के परवलपुर पशु अस्पताल किराये के मकान में चल रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिनाथपुर, तमुरिया एवं परवलपुर में पशु अस्पताल का भवन निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वासगीत पर्चा देना

*1902. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलांतर्गत पालीगंज प्रखण्ड के लालगंज सेहरा पंचायत के उदयनगर तथा खनपुरा, तारणपुर पंचायत के खनपुरा टांडी में बसे सैकड़ों भूमिहिनों को अबतक सरकार द्वारा वासगीत पर्चा नहीं दिया गया है, जिसके कारण सरकारी लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँव में बसे लोगों को जमीन का वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण करवाना

*1903. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत जंदाहा नगर पंचायत के अरनिया के वार्ड नं0 14 में हनिफ मियां के घर से अरनिया पंचायत भवन तक नाला नहीं रहने के कारण जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है जिससे आमलोगों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त स्थल पर नाला निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वासगीत पर्चा निर्गत कराना

*1904. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले तीन दशक में पीरपैंती और कहलगांव प्रखंड में हो रहे गंगा नदी कटाव से हजारों ग्रामीणों का घर कट कर गंगा नदी में विलीन हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हजारों कटाव पीड़ितों में से मुश्किल से 100 लोगों के बसने के लिए भूमि बंदोबस्त कर वासगीत पर्चा दिया गया है तथा अभी भी हजारों कटाव पीड़ित परिवार सड़क और रेल किनारे अस्थाई रूप से रहने के लिए विवश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में सभी कटाव पीड़ितों को बसने हेतु जमीन बंदोबस्त कर वासगीत पर्चा निर्गत कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वार्डों को राजस्व मैप पर दर्शाए जाना

*1905. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत टेटिया प्रखंड के राजस्व ग्राम-बनहारा का वार्ड सं0 2, 4 एवं 5 गंगटा पंचायत अंतर्गत पड़ता है परंतु उक्त तीनों वार्ड को विभाग द्वारा बनहारा राजस्व ग्राम के अंतर्गत दिखाया जा रहा है जिसके कारण वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या के आधार पर मिलने वाली गंगटा पंचायत की राशि बनहरा पंचायत को भुगतान हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार राजस्व ग्राम-बनहरा के वार्ड संख्या 2, 4 एवं 5 को गंगटा पंचायत के अंतर्गत राजस्व मैप पर दर्शाए जाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विकसित करना

*1906. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत शाहपुर पटोरी में स्थित कृषि फार्म की भूमि को विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नियम के विरूद्ध बड़े किसानों को कृषि उत्पादन के लिए दिया जाता है साथ ही पूरे भूमि का उपयोग कृषि विभाग द्वारा नहीं किया जाता है जिससे क्षेत्र की जनता को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कृषि फार्म को क्षेत्र की जनता के हित में कबतक विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है। समस्तीपुर जिलान्तर्गत बीज गुणन प्रक्षेत्र, शाहपुर पटोरी का कुल रकबा-50 एकड़ है। जिसमें से 25 एकड़ भूमि प्रोजनी नर्सरी के विकास हेतु उद्यान निदेशालय को हस्तांतरित है तथा 4 एकड़ भूमि अनुमंडल कार्यालय, पटोरी की स्थापना हेतु अधिग्रहित है।

शेष 21 एकड़ भूमि का उपयोग आधार बीज उत्पादन हेतु किया जा रहा है। प्रक्षेत्र में उत्पादित आधार बीज का उपयोग बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु एवं मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में अनुदानित दर पर किसानों को आधार बीज वितरण के लिए किया जाता है ।

सड़क निर्माण

*1907. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र में स्थित जर्जर रिंग बाँध पर सड़क का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण शहर में जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त रिंग बाँध का चौड़ीकरण करते हुए सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*1908. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज कोथवां के ग्राम-मुर्गीयाचक में देवी स्थान से मुर्गीयाचक होते हुये हरिदासपुर तक की पथ में जल निकासी हेतु नाला नहीं होने एवं वहां बसे घनी आबादी के कारण अधिकांश घरों का गन्दा पानी सड़क पर ही बहता रहता है जिसके कारण बरसात के दिनों के अलावे भी आम दिनों में जल-जमाव की समस्या रहती है, इससे स्थानीय निवासी एवं राहगिरों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में जल-निकासी हेतु नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दुकान एवं शेड का निर्माण कराना

*1909. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला मुख्यालय स्थित मुसल्लहपुर बाजार समिति के 38 एकड़ भू-भाग में 60 (साठ) दुकान एवं शेड का निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव वर्ष 2021 विभाग में लंबित है, जबकि 100 से अधिक लाईसेसधारी दुकानदार विगत 20 वर्ष से प्लेटफार्म पर व्यवसाय कर रहे हैं, यदि हाँ, तो उक्त बाजार समिति में 60 दुकान एवं शेड का निर्माण कराये जाने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

*1910. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखंड में कृषि पदाधिकारी और खाद दुकानदार की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर यूरीया खाद का कालाबाजारी की जा रही है, जिससे किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी, दुकानदारों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटित करना

*1911. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 30 में जिला रजक समिति, करबिगहिया शाखा में सामुदायिक भवन, शौचालय चहारदीवारी के निर्माण हेत अंके 49, 96, 347 रु० का प्राक्कलन बनाकर कंकड़बाग प्रमंडल के पत्रांक 2358, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 द्वारा मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम को भेजा गया था, जिसके आलोक में मुख्य अभियंता, द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटन हेतु सूचिका 111, एम-1757/2020/सीएमई, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 के माध्यम से नगर आयुक्त, को भेजा गया था जो आजतक लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सब्जी कोल्ड स्टोर बनाना

*1912. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि और तुरकौलिया प्रखंड में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती की जाती है, जिसे ट्रक द्वारा बाहर भेजा जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में सब्जी मंडी एवं सब्जी कोल्ड स्टोर नहीं रहने के कारण उत्पादन का आधा भाग बर्बाद हो जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में सब्जी मंडी व सब्जी सुरक्षित रखने के लिये सब्जी कोल्ड स्टोर बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एस०एफ०सी० गोदाम की मरम्मत एवं नये गोदाम बनाना

*1913. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला मुख्यालय समेत प्रखंडों में बनाये गये एस०एफ०सी० गोदाम जर्जर हो गये हैं और बरसात में अनाज भिगने से सड़ जाता है जिससे सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद हो जाता है तथा पर्याप्त मात्रा में गोदाम नहीं होने से भारी संकट का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जिला में बने सभी एस०एफ०सी० गोदाम की मरम्मत एवं नये गोदाम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनाना

*1914. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड के गरीब लोगों के द्वारा छः महीना पूर्व राशन कार्ड के लिये हजारों आवेदन सीतामढ़ी अनुमंडल में जमा कराया गया था लेकिन अभीतक आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया, यदि हाँ, तो सरकार कबतक आवेदन देने वाले लोगों का राशन कार्ड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यूरिया एवं डी०ए०पी० उपलब्ध कराना

*1915. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में खरीफ फसलों की बुआई की तरह रबि फसलों के बुआई के समय भी यूरिया एवं डी०ए०पी० खाद की भारी किल्लत बनी हुयी है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली बिहार राज्य को उर्वरकों में कटौती कर दी गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के किसानों को अपने स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में अगले खरीफ के सीजन में यूरिया एवं डी०ए०पी० उपलब्ध कराने संबंधी विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । रबी 2022-23 में राज्य माहवार यूरिया एवं डी०ए०पी० खाद की आवश्यकता एवं उपलब्धता निम्नवत है :--

माह	यूरिया			डी०ए०पी० (मात्रा मे०ट०में)		
	आवश्यकता	प्राप्ति	प्रतिशत	आवश्यकता	प्राप्ति	प्रतिशत
आरंभ शेष		5529			5518	
अक्टूबर-22	210000	126670	60	90000	71209	79
नवम्बर-22	250000	150485	60	122000	146268	120
दिसम्बर-22	330000	319088	97	100000	118143	118
जनवरी-23	240000	353390	147	40000	66350	166
फरवरी-23 (दिनांक 28.2.23 तक)	150000	205462	137	15000	41166	274
कुल	1180000	1160624	98	367000	448654	122

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रबी 2022-23 में माह अक्टूबर, में डी०ए०पी० की आपूर्ति आवश्यकता से 21 प्रतिशत कम हुयी है। यूरिया की आपूर्ति माह अक्टूबर, 22 एवं नवम्बर 22 में आवश्यकता से 40 प्रतिशत तथा दिसम्बर 22 में आवश्यकता से 3 प्रतिशत कम रही है।

राज्य स्तर से सीधे किसी भी रसायनिक उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जाती है। उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये रसायनिक उर्वरक की आपूर्ति विभिन्न जिलों को आवश्यकता के आलोक में आवंटित किया जाता है।

आपूर्ति कम होने की स्थिति में यूरिया एवं डी०ए०पी० की आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार को समय-समय पर अनुरोध-पत्र भेजा जाता है।

उर्वरक कालाबाजारी रोकथाम हेतु खरीफ 2022 में कुल 8633 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गयी जिसमें 920 में अनियमितता पायी गयी। 120 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी।38। उर्वरक प्रतिष्ठानों का प्राधिकार पत्र रद्द किया गया तथा 85 उर्वरक प्रतिष्ठानों को निलंबित किया गया।

इसी प्रकार रबी 2022-23 में कुल 8878 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापामारी की गयी, जिसमें 1227 में अनियमितता पायी गयी जिसके विरुद्ध 144 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी 344 उर्वरक प्रतिष्ठानों का प्राधिकार पत्र को रद्द किया गया तथा 147 प्राधिकार-पत्र निलंबित किये गये।

शिकायत का निराकरण

*1916. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर प्रखंड के कार्डधारी श्रीमती अजमी खातुन, संजरी बेगम, माहेरू बेगम एवं श्रीमती जुमातन (सभी ग्राम पंचायत, जानडोभ, ग्राम बासोल) का राशन कार्ड वर्ष 2019 के जून माह से बंद है । जिस कारण कार्डधारी राशन का लाभ लेने से वंचित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्डधारियों द्वारा वर्ष 2019 में कार्ड बंद होने की शिकायत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमौर से किये जाने के पश्चात भी अबतक इसका निराकरण नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इतने लम्बे अवधि से कार्डधारियों का कार्ड बंद रखने का क्या औचित्य है ?

सीवेज का निर्माण

*1917. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी नगर परिषद् क्षेत्र में सभी नाले जर्जर एवं संकीर्ण रहने के कारण गन्दा जल सड़कों पर ही जमा हो जाता है, जिससे नगर वासियों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार शेरघाटी नगर परिषद् में मास्टर प्लान बनाकर शहर के जर्जर सड़क एवं गंदे पानी के बहाव के लिये सिवेज/नाले का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कृषि फार्म से उन्नत बीजों का विक्रय करवाना

*1918. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी में लगभग 150 एकड़ भूमि में कृषि फार्म अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त फार्म के मात्र एक चौथाई भूमि पर कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के द्वारा बीजों का उत्पादन किया जाता है लेकिन उसकी बिक्री कृषि फार्म से नहीं की जाती है, जिससे क्षेत्र की जनता को उन्नत बीजों के लिये पूसा की कृषि विश्वविद्यालय जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शाहपुर पटोरी कृषि फार्म से उन्नत बीजों का विक्रय कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, पटोरी का कुल रकबा 50 एकड़ है । इसमें से 25 एकड़ जमीन प्रोजगनी बाग नर्सरी हेतु तथा 04 एकड़ जमीन अनुमंडल कार्यालय, पटोरी के लिये हस्तांतरित है ।

अवशेष 21 एकड़ जमीन में से गोदाम, नाला, सड़क एवं प्रक्षेत्र का थ्रेसिंग फ्लोर के लिये प्रयुक्त जमीन के बाद शेष 16 एकड़ जमीन पर बीज का उत्पादन किया जा रहा है ।

(2) अस्वीकारात्मक । इस प्रक्षेत्र में कृषि विभाग अत्याधुनिक फसल प्रभेद के बीज का उत्पादन का कार्य किया जा रहा है । खरीफ मौसम में इस प्रक्षेत्र में 2.20 हेक्टेयर में धान एवं 20 हेक्टेयर में महुआ के बीज का उत्पादन किया गया है तथा रबी मौसम में इस प्रक्षेत्र में 40 हेक्टेयर में गेहूँ एवं 2.30 हेक्टेयर में तीसी बीज का उत्पादन का कार्य किया जा रहा है । कृषि प्रक्षेत्र का उपयोग बीज उत्पादन के लिये किया जा रहा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

(3) उपरोक्त खंडों से वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है । प्रक्षेत्र में उत्पादित बीज बिहार राज्य बीज निगम को उपलब्ध कराया जाता है, जो प्रसंस्करण के उपरांत गुणवत्ता वाले बीज किसानों को उपलब्ध करा रही है । प्रक्षेत्र स्तर पर बीज बिक्री का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

निर्माण कराना

*1919. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अंतर्गत वार्ड नं० 1 (बाराडीह) में जल-निकासी हेतु नाला का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण सड़क पर जल-जमाव रहता है जिससे आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान की खरीद का लक्ष्य बढ़ाना एवं बकाया राशि का भुगतान कराना

*1920. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--हिन्दुस्तान अखबार में 15 फरवरी, 2023 को छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के 20499, जहानाबाद जिला के 22726 किसानों ने धान खरीद के लिये ऑनलाइन आवेदन किये जिसमे अरवल में 12495, जहानाबाद में 12486 किसानों से ही धान की खरीदी हुई और उसमें अरवल जिला में 10960 किसानों के धान खरीदी भुगतान हुआ शेष 1535 किसानों को भुगतान नहीं हो सका हैं तथा अरवल जहानाबाद जिला में धान खरीद के लक्ष्य से महज क्रमशः 1846 एवं 1400 मीट्रिक टन धान कम खरीदी गयी है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अरवल एवं जहानाबाद जिलों में धान की खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के साथ किसानों के बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विकसित कराना

*1921. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोतीहारी नगर निगम क्षेत्र में कुंआरी देवी चैक के निकट स्थित शमशान की भूमि में मुक्ति धाम का निर्माण पी०एच०डी० विभाग द्वारा कराकर नगर विकास विभाग को अधिग्रहित कराया गया है, जो वर्ष 2015-16 से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जो शमशान के रूप में कभी भी उपयोग नहीं हुआ जिसके उक्त मुक्तिधाम की भूमि अतिक्रमित भी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मुक्तिधाम को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये विद्युत् मुक्तिधाम के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय खोलना

*1922. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अन्तर्गत शाहपुर मोड़े पर एक विशाल साप्ताहिक पशु मेला लगता है तथा उक्त मोड़ पर सालों भर काफी संख्या में पशु रहा करता है परंतु पशुओं के इलाज हेतु पशु अस्पताल नहीं होने के कारण पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शाहपुर मोड पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यों को पूरा करना

*1923. श्रीमती कविता देवी (क्षेत्र संख्या-69 कोढ़ा (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले पंचायतों में नल-जल योजना का 50 प्रतिशत कार्य कराकर आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विधान सभा क्षेत्र में नल-जल योजना के अधूरे कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दाखिल-खारिज करना

*1924. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी, मुसहरी, सरैया, काँटी अंचल में जमीन का दाखिल-खारिज का 2,500 (दो हजार पाँच सौ) आवेदन छः माह पूर्व से लम्बित है तथा कई आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर लम्बित पड़े दाखिल-खारिज को निष्पादन एवं अस्वीकृत किये गये आवेदन का पुनः आवेदन लेकर दाखिल-खारिज कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि की व्यवस्था करना

*1925. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रोड, नगर परिषद् में 14 वार्डों का नवसृजन किया गया है तथा नवसृजित सभी वार्ड स्लम एरिया है तथा विकास से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी नवसृजित वार्डों के विकास हेतु राशि की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल बनवाना

*1926. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के सदर प्रखंड अन्तर्गत टीकारामपुर पंचायत में पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक टीकारामपुर में पशु अस्पताल बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मासिक मानदेय निर्धारित करना

*1927. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में "आत्मा" के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला एवं प्रखंड स्तरीय लेखपालों की नियुक्ति 12,100 रुपया प्रतिमाह के समान मानदेय दर पर किया गया था तथा बाद में समान रूप से मानदेय दर में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि भी जोड़ा गया जो वर्ष 2018 तक समान रूप से प्रभावी रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 30 अप्रील, 2019 को "बामेती" शासी परिषद् की 12वीं बैठक से जिला लेखापाल का मानदेय 22,500 रुपया प्रतिमाह एवं प्रखंड लेखापाल का मानदेय 17,715 रुपया प्रतिमाह 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की तरह (वर्ष 2014) प्रखंड लेखापालों को भी जिला लेखापालों के समतुल्य मासिक मानदेय निर्धारित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराना

*1928. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्मली, थुमहा, पिपरा किशनपुर, अंदौली बाजार में एक भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण महिलाओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजारों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना का लाभ दिलाना

*1929. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा प्रखंड के सोनमा पंचायत स्थित वार्ड नम्बर 3 की जनता नल-जल योजना से अभीतक वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सोनमा पंचायत के वार्ड नम्बर 3 की जनता को ''नल-जल'' योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा प्रखंड के सोनमा पंचायत के वार्ड संख्या 3 में हर घर नल का जल योजना से कुल 118 घरों को आच्छादित किया जाना है । जिसके विरुद्ध 61 घरों में नल-जल का कनेक्शन दिया गया है । शेष घरों में भी गृह जल संयोजन का कार्य शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा ।

जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना

*1930. श्री भीम कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड अन्तर्गत डुमरा पंचायत के डुमरा में स्थित खेल मैदान की जमीन अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे बच्चों को खेलने में काफी परेशानी होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1931. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ एवं महिषी प्रखंड सहित समस्त कोसी क्षेत्र में माप एवं नाप, तौल विभाग के अधिकारियों, व्यवसायियों, बड़े एवं छोटे दुकानदारों, पेट्रोल पंप मालिकों इत्यादि की मिली भगत से उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जा रहे हर प्रकार के सामानों की तौल कम दी जा रही है, जिस कारण उपभोक्ताओं एवं सरकार को भारी नुकसान हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर में माप-तौप निरीक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। माप-तौल निरीक्षक, सहरसा द्वारा प्रासंगिक सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक सहरसा जिला अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषी प्रखंड में 82 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया एवं 60 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया तथा 12 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान 2009 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है।

इसके अतिरिक्त समस्त सहरसा जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक 1661 प्रतिष्ठानों के माप-तौल उपकरणों का सत्यापन मुहरांकन, 1292 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 432 प्रतिष्ठानों को नोटिस एवं 74 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है जो सहरसा जिला के प्रतिवेदन में सम्मिलित है ।

समस्त कोशी क्षेत्र में वितीय वर्ष 2022-23 में अबतक विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत कुल 301 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है।

विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत पर जाँच कर कार्रवाई की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक सहरसा जिला के उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल 06 (छः) शिकायत सही पाया गया जिसपर निरीक्षक के द्वारा अभियोग प्रस्तावित किया गया ।

माप-तौल से प्रदायी सभी आठ सेवाओं के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु 22 जुलाई, 2021 से सभी कार्य पूरे बिहार राज्य में ऑनलाइन के माध्यम सम्पादित की जा रही है । इसके तहत सहरसा जिले में ऑनलाइन के माध्यम से वर्ष 2022-23 में निरीक्षक, माप एवं तौल द्वारा कुल 1661 व्यापारियों के माप-तौल उपक्रणों के लिए सत्यापन प्रमाण-पत्र वर्तमान समय तक निर्गत किया गया ।

उक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि माप-तौल की सभी प्रदायी सेवाएँ RTPS से आच्छादित है, जिसके तहत सभी सेवाओं को पूर्ण करने की समय-सीमा एक माह निर्धारित है । जिस क्रम में सहरसा जिले में अभीतक कुल 2998 आवेदन RTPS से आच्छादित हुए हैं, जिसमें से 2697 आवेदन निष्पादित किया जा चुका है, शेष निष्पादन की प्रक्रिया में है ।

बोरिंग लगाना

*1932. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखंड अंतर्गत कुर्था बाजार की आबादी करीब 2500 घरों की है जिसमें करीब 2100 घरों को जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन उपलब्ध कराया गया है जिसके लिए मात्र 2 बोरिंग कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुर्था बाजार में अत्यधिक आबादी होने के कारण दो बोरिंग से सही जलापूर्ति नहीं हो पाती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुर्था बाजार में जलापूर्ति हेतु 4 बोरिंग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) अतिरिक्त बोरिंग एवं गृह जल संयोजन हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । स्वीकृति के उपरांत बोरिंग की संख्या बढ़ा दी जायेगी एवं शेष बचे घरों में भी जलापूर्ति सुनिश्चत की जायेगी ।

जल आपूर्ति कराना

*1933. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ0 जा0)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड में हर घर नल-जल योजना के तहत पानी का पाइप बिछाई गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिंघिया प्रखंड के वारी पंचायत के वार्ड संख्या 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 17 सिंघिया 1 नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2, 4, 6 बंगरहट्टा पंचायत के वार्ड संख्या 8, 17, 19 एवं हरदिया पंचायत के वार्ड संख्या 1, 3, 4, 5 में जल आपूर्ति बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों में जल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1934. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिलास्तर पर उपभोक्ताओं के शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है फिर भी जिला उपभोक्ता फोरम, दरभंगा में स्थाई अध्यक्ष का पद विगत दो वर्षों से रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला उपभोक्ता फोरम, दरभंगा के पूर्व अध्यक्ष सर्वजीत की कोविड में मृत्यु के पश्चात् इनचार्ज अध्यक्ष का बहाली हुई थी परन्तु वे स्थाई अध्यक्ष एवं महिला सदस्य के अभाव में पीड़ित उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित उपभोक्ता फोरम में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल लगवाना

*1935. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0 जा0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिला अंतर्गत नगर पंचायत, कटोरिया एवं बौंसी बाजार से सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित मिनी जलापूर्ति योजना के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं रहने से व्यवसायियों के साथ-साथ आमजनों को पीने हेतु पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर पंचायतों के बाजार में सौर ऊर्जा स्वचालित मिनी जलापूर्ति योजना के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1936. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत नगर निगम, बेतिया, स्थित नौतन, मंगलपुर, गोपालगंज की ओर जाने वाली वाहनों के लिये बसवरिया बस पड़ाव में कूड़ा आदि का जमाव रहने के कारण बस पड़ाव की स्थिति काफी खराब है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बस पड़ाव का सफाई कार्य कराकर पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना

*1937. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बलरामपुर प्रखंड के भिमियाल पंचायत के वार्ड नं० 2 एवं 3 के करीब 100 घरों तक असमाजिक तत्वों के विरोध के कारण नल-जल योजना का क्रियान्वयन नहीं होने से जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पायी है, जिसके कारण ग्रामीण जनता स्वच्छ पेयजल से वंचित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्डों की जनता को नल-जल अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1938. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र के काराकाट प्रखण्ड के गोड़ारी नगर पंचायत में जमीन उपलब्धता के बावजूद श्मशान घाट एवं शवदाह गृह के अभाव में शवों का दाह संस्कार का कार्य मुख्य सड़क के किनारे किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर पंचायत में स्थायी श्मशान घाट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय भवन का जीर्णोद्धार कराना

*1939. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमण्डल के अन्तर्गत ग्राम संसा में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-संसा में पशु चिकित्सालय भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*1940. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खाद्य निगम के भोजपुर जिला के प्रत्येक प्रखंड में स्थित गोदामों में अनलोडिंग, लोडिंग, तौलाई एवं सिलाई-भराई आदि कामों में कार्यरत मजदूरों का मजदूरी भुगतान श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 5/एम०डब्लू० 40/18/2021 खण्ड संख्या 995, दिनांक 30 मार्च, 2022 और प्रबंध निदेशक राज्य खाद्य निगम के पत्रांक पीटी 3.96 (पार्ट) 4522, परिवहन/पटना, दिनांक 17 जून, 2022 के आलोक में करने का प्रावधान है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार मजदूरों का भुगतान उक्त तिथि से करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । मुख्य महाप्रबंधक, जन-वितरण, निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक 1786, दिनांक 28 फरवरी, 2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्रतिवेदित किया गया है कि निविदा तथा एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप राज्य खाद्य निगम, भोजपुर अन्तर्गत कार्यरत परिवहन अभिकर्ता का गोदामों पर लोडिंग तथा अनलोडिंग कार्य हेतु मजदूरों की व्यवस्था करना तथा उन्हें अधिसूचित दर पर भुगतान करने हेतु एवं तदनुरूप विपत्र समर्पित करना उनका दायित्व है। प्राप्त विपत्रों के जाँचोपरान्त गोदामों में अनलोडिंग, लोडिंग, तौलाई एवं सिलाई भराई के कार्यों हेतु संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा राशि का भुगतान परिवहन अभिकर्ता को दिया जाता है।

वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना सं० 05/एम०डब्लू० 40-18/2021 श्रम संख्या 3818, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के माध्यम से बढ़े हुये मजदूर के हिसाब से दैनिक मजदूरी का भुगतान परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ताओं (मुख्य) के माध्यम से कराये जाने का निदेश भोजपुर सहित अन्य सभी जिला प्रबंधकों, राज्य खाद्य निगम को दिया गया है ।

(2) उत्तर उक्त खण्ड में स्पष्ट कर दिया गया है।

चिकित्सक की कमी को दूर करना

*1941. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड करगहर एवं कोचस में पशु अस्पताल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं पदस्थापित पशु चिकित्सक कई प्रखंडों में स्थित पशु अस्पताल में है, जिसके कारण पशुपालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में स्थित पशु अस्पताल के भवन का निर्माण के साथ चिकित्सक की कमी को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संप हाउस का निर्माण

*1942. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2019 में हुये जल-जमाव के बाद उच्चस्तरीय जाँच समिति की अनुशंसा पर नगर परिषद् दानापुर (पटना) अंतर्गत वार्ड नं० 37 स्थित टीचर्स लेन (कुसुमपुरम कॉलोनी) के सामने बेलीरोड, दीघा लिंक पथ पर लगाये गये अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग सेट से नाला का पानी नहर में डाला जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि टीचर्स लेन, कुसुमपुरम से तीनमुहान तक बने आर०सी०सी० नाला का ऊपरी सतह एक जगह क्षतिग्रस्त होने तथा तीनमुहन-शिवकाशी हॉस्पिटल के बीच कच्चा नाला में मिट्टी डालकर अतिक्रमण किये जाने से नाला का पानी ड्रेनेज पंपिंग में सेट नहीं पहुंच पा रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आर०सी०सी० नाला की मरम्मत कराते हुये कच्चा नाला को अतिक्रमण मुक्त कराकर पानी का बहाव चालू करने के साथ उक्त स्थल पर स्थायी संप हाउस का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*1943. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग में उप-निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के पद पर विगत पाँच वर्षों से प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बंद प्रोन्नति को कबतक चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का पर्चा देना

*1944. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत महादलित परिवार के सैकड़ों लोग वर्षों से ग्राम-भभुआ, वार्ड नं० 7 प्रखंड-सह- अंचल-भभुआ, सेवरी नगर स्थित नहर पर आवासित है, जिन्हें जल-जीवन हरियाली योजना में अतिक्रमण के नाम पर स्थानीय प्रशासन द्वारा विस्थापित किया जा रहा है , यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महादलित परिवारों को उक्त जमीन का पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण करना

*1945. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मत्स्य विभाग, पटना में सहायक निदेशक के पद पर 15 वर्षों से पदस्थापित पदाधिकारी ही निदेशक के प्रभार में भी कार्यरत है, जबकि सरकार के नियमावली के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक जगह तीन वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वैसे पदाधिकारियों को स्थानांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि श्री निशात अहमद, तदेन संयुक्त निदेशक (मु०), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या 216-सह-पठित ज्ञापांक 217, दिनांक 25 जनवरी, 2022 द्वारा निदेशक, मत्स्य के पद पर प्रोन्नति देते हुये पदस्थापित किया गया है ।

नाला पाटना

*1946. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला मुख्यालय स्थित सैदपुर नाला के दोनों तरफ शिवम अपार्टमेंट में गायघाट तक धनी आबादी आवासित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नाला से सटे सड़क संकीर्ण एवं जर्जर रहने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है साथ ही विगत दस वर्षों में बहुत से लोगों की मौत डूबने से चली गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दीघा आशियाना या मंदिरी के तर्ज पर उक्त नाला को पाटने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय बनवाना

*1947. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखंड के नाहस खंगरैठा ग्राम में कृषि विभाग का 25 पच्चीस एकड़ जमीन खाली है, जो बेकार पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों को कृषि क्षेत्र में जागरूक बनाने हेतु अधिक से अधिक कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा विगत पाँच वर्ष पूर्व निर्णय लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त भूमि पर कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय बनवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र खंगरैठा, बिस्फी का भौगोलिक रकबा 10 हेक्टेयर (25 एकड़) है । यह प्रक्षेत्र बेकार पड़ हुआ नहीं है बल्कि इस प्रक्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन किया जा रहा है । राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, खंगरैठा, बिस्फी में वर्तमान वर्ष में 2022-23 खरीफ मौसम से इस प्रक्षेत्र में 6 हेक्टेयर में धान का बीज उत्पादन किया गया तथा रबी मौसम में 7 हेक्टेयर गेहूँ के बीज का उत्पादन किया जा रहा है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । राज्य सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिये जिलास्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किसान प्रशिक्षण, किसान चौपाल, किसानों का भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । जहां तक कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकता के अनुसार कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र खोले गये हैं ।

(3) उपर्युक्त खंडों के उत्तर से वस्तुस्थिति स्पष्ट है । बीज गुणन प्रक्षेत्र, बिस्फी में नये कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र अथवा कृषि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

बंदोबस्ती करना

*1948. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी अंचल के खाता नं० 126, खेसरा नं० 330, चानपुरपट्टी सैरात की जमीन का माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी०डब्लू०जे०सी० नं० 11953, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 के न्याय निर्णय में श्री कन्हैया चौधरी के नाम बंदोबस्ती करने का आदेश दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार ने यू०पी०ए० नं० 798/2012 उच्च न्यायालय के डबल बेंच में दायर किया । पटना उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई, 2022 को पूर्व के 2010 के आदेश को बरकरार रखते हुये बिहार सरकार के याचिका को खारिज कर दिया ;

(3) क्या यह बात सही है कि उप-मत्स्य निदेशक, दरभंगा ने अपने ज्ञापांक 336, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को श्री कन्हैया चौधरी के आवेदन को संलग्न करते हुये जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधुबनी को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया परंतु आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पटना उच्च न्यायालय के पारित आदेश पर कार्रवाई करते हुये सैरात बंदोबस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी०डब्लू०जे०सी० नं० 11953, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 के न्याय निर्णय में श्री कन्हैया चौधरी के नाम बंदोबस्त करने का आदेश दिया था ।

(2) स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि एल०पी०ए० संख्या 798/2012 में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस०एल०पी० दायर करने हेतु विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त है तथा अपर स्थाई सलाहकार, बिहार को विधि विभाग के द्वारा एस०एल०पी० दायर करने हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है ।

(3) स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल०पी०ए० संख्या 798/2012 वाद को खारिज करने के उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एल०पी०ए० दायर किये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

(4) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

दोषी पर कार्रवाई

*1949. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकारी नियमानुसार फआर के वैसे चावल मिल को देना है जो मिलर पैक्स का धान लेकर चावल एसएफसी के गोदाम में जमा करते हैं, परंतु राज्य में एसएफसी के प्रबंधक एवं संवेदक के मिली भगत से चावल मिलरों को ससमय फआर के उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण गुणवत्तापूर्ण चावल मिलरों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसके लिए दोषी पदाधिकारियों एवं संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। राज्य में धान आपूर्ति श्रृखंला में सम्बद्ध मिलों को FRK की आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ एवं पूर्णत: पारदर्शी है तथा मिलवार FRK उपलब्धता का दैनिक अनुश्रवण किया जाता है। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा निविदा के माध्यम से पैनलीकृत आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से जिलावार तथा मिलवार आवश्यकतानुसार FRK की आपूर्ति कराई जाती है। FRK उपलब्धता को और सरल बनाने के लिए मिलों को भी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा मान्यता प्राप्त FRK उत्पादकों से सीधे FRK प्राप्त करने की अतिरिक्त स्वतंत्रता भी राज्य सरकार द्वारा दी गयी है। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स के द्वारा भी मिलिंग तथा FRK आपूर्ति की गति एवं मात्रा पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। वर्तमान खरीफ में आरंभिक सप्ताह के बाद FRK आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है।

जीर्णोद्धार करना

*1950. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जल-जीवन हरियाली योजनान्तर्गत सार्वजनिक तालाबों एवं पोखरों का जीर्णोद्धार विभाग के द्वारा कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् बनमनखी, जिला पूर्णियाँ द्वारा पत्रांक 1050, दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से कुल 02 पोखर जीर्णोद्धार का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन करवाकर विभाग को भेजा गया है, जो कि अबतक स्वीकृति के लिये लंबित है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पत्र में वर्णित पोखर का जीर्णोद्धार कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवेदन का निबटारा करना

*1951. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 09 फरवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''दाखिल-खारिज के निबटारे में जिले में अलीनगर अंचल अव्वल'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला में दाखिल-खारिज के कुल आवेदन 335837 प्राप्त हुआ, जिसमें 136643 आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, अस्वीकृत आवेदन में अधिकांश सदर, बहादुरपुर, बेहड़ी, जाले, सिंहवारा अंचल का है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला में कुल 40238 आवेदन लंबित है जिसमें अधिकांश सदर, बहादुरपुर, बेहड़ी, जाले, सिंहवारा अंचल का है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अस्वीकृत आवेदन का जाँच करना एवं विगत कई माह से लंबित आवेदन का निबटारा करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पैक्स में बैंकिंग व्यवस्था शुरू कराना

*1952. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के पैक्सों में बैंकिंग व्यवस्था नहीं है जिससे की पंचायत स्तर पर सभी पैक्स सबल हो सके ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भारतीय डाक के तर्ज पर सभी पैक्सों को सबल बनाने के लिये बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय खोलना

*1953. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत 20 पंचायतों वाले झाझा प्रखंड में प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सालय स्थापित है जिसमें समस्त पंचायतों के पशुपालक अपने पशुओं का इलाज कराते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार की हरेक 8-10 पंचायतों पर एक पशु चिकित्सालय खोलने की योजना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झाझा प्रखंड के धमना पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*1954. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अनीसाबाद (पटना) अरवल-हरिहरगंज पथ चौड़ीकरण NH-98, NH-139 परियोजना हेतु वर्ष (2015-16) में क्रमशः बिक्रम, नगर पंचायत, ग्राम-दादोपुर, पंचायत-वजीरपुर एवं नगहर पंचायत के श्री लालदेव सिंह, श्री अजय सिंह, श्री रामानुज सिंह, मकसूद आलम, नबी मियाँ, मोहम्मद सवान वगैरह श्री सत्यनारायण प्रसाद एवं अन्य किसानों से भूमि अधिग्रहण किया गया था, परन्तु अभीतक उक्त किसानों को रकबा के अनुरूप भूमि मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित किसानों को रकबा के अनुरूप अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि भुगतान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, पटना से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत् है:--

(1) परियोजना अनिसाबाद-अरवल-हरिहरगंज पथ चौड़ीकरण एन०एच०-98 (नया 139) मौजा-ग्राम-दादुपुर, थाना नं०53 राजस्व थाना-बिक्रम, जिला-पटना, एल०ए० वाद सं० 70/2013-14 के तहत कुल 65 पंचाटी से संबंधित कुल 123 हितबद्ध रैयतों को अर्जित रकबा 13.77 एकड़ के विरुद्ध रकबा 11.48 एकड़ की राशि मो० 10.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(2) अनीसाबाद (पटना) अरवल-हरिहरगंज पथ चौड़ीकरण एन०एच०98 (नया-139) परियोजना हेतु वर्ष 2013-14 में ग्राम दादुपुर, के हितबद्ध रैयत श्री लालदेव सिंह, श्री अजय सिंह, श्री रामानुज सिंह, मकसूद आलम का अर्जित रकबा का पूर्ण मुआवजा भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :--

क्र०	एवार्डी का नाम एवं पता।	पंचाट सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	अर्जित रकबा (एकड़ में)।	पुराने नियम से भुगतान राशि।	नये नियम के अनुसार भुगतान राशि।	कुल भुगतेय राशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री लाल देव सिंह पिता-स्व० महादेव सिंह, सा० दादुपुर, थाना-बिक्रम, जिला-पटना।	20	20	350	0.16075	1427845.00	83807.00	1511652.00
		28	70	362	0.13054	1160396.00	68109.00	1228505.00
		42	103	666	0.09793	552929.00	367979.00	920908.00
		49(क)	106	741	0.14213	1262456.00	74098.00	1336554.00
		58(क)	104	762	0.26850	1497484.00	87893.00	1585377.00
				744	0.022595	-	88218.00	88218.00
				कुल योग-	0.722635	5901110.00	770104.00	6671214.00
2	श्री अजय कुमार सिंह पिता-स्व० महादेव सिंह, सा० दादुपुर, थाना-बिक्रम, जिला-पटना।	20(क)	20	350	0.07541	669822.00	39314.00	709136.00
		28(क)	70	362	0.00057	5063.00	297.00	5360.00
		42(क)	103	666	0.12446	788668.00	381722.00	1170390.00
		49	106	741	0.14665	1302604.00	76455.00	1379059.00
		58(ख)	104	762	0.13796	1225416.00	71924.00	1297340.00
				744	0.022595		88218.00	88218.00
				कुल योग-	0.507645	3991573.00	657930.00	4649503.00
3	श्री रामानुज सिंह पिता-स्व० कमलसिंह, सा० दादुपुर, थाना-बिक्रम, जिला-पटना।	28 (ख)	70	362	0.08177	726314.00	42630.00	768944.00
		58	104	762	0.18263	1622193.00	95212.00	1717405.00
				कुल योग-	0.26440	2348507.00	137842.00	2486349.00
4	मो० मकसुद आलम, पिता-आहमद अब्दुल सकुर, सा० दादुपुर, थाना-बिक्रम, जिला-पटना।	1	20	169	0.042007	-	395023.00	395023.00
				कुल योग	0.042007	-	395023.00	395023.00

उक्त तारांकित प्रश्न में उल्लेखित व्यक्ति नवी मियां, मोहम्मद सवान एवं श्री सत्यनारायण प्रसाद का नाम एवार्ड में शामिल नहीं है।

यदि उपर्युक्त किसान नवी मियां, मो० सवान एवं श्री सत्यनारायण प्रसाद द्वारा जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना में आवेदन-पत्र दाखिल किया जाता है तो जाँचोपरान्त मुआवजा भुगतान के संबंध में नियमानुकुल कार्रवाई की जायेगी।

जमीन उपलब्ध कराना

*1955. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीमामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखण्ड बोखड़ा में स्टेडियम निर्माण कराने हेतु विभाग से अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन अंचल अधिकारी, बोखड़ा द्वारा जमीन न उपलब्ध कराने के कारण निर्माण कार्य अधर में लटका है जबकि प्रखण्ड बोखड़ा में बिहार सरकार की पर्याप्त जमीन है, यदि हाँ, तो सरकार स्टेडियम निर्माण के लिये जमीन उपलब्ध कराने में क्या विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1956. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के नारायणपुर अंचल के मौजा-नगरपारा, खाता 2843, खेसरा-6967 एवं 6968 में सड़क की जमीन का अंचलाधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक समाज के पच्चीस परिवार को सड़क की जमीन को पर्चा बनाकर दे दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, भागलपुर के प्रतिवेदन के आलोक में वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत बिहपुर विधान सभा के नारायणपुर अंचल के मौजा नगरपारा, खाता 2843, खेसरा 6967 में कुल 25 भूमिहीन PMAY (G) सुयोग्य श्रेणी (राईन मुस्लिम बी०सी०-1) अल्पसंख्यक परिवारों को गृहस्थल पर्चा भूमि बन्दोबस्ती वाद संख्या 7/2022-23 के द्वारा दी गयी है। ग्राम पंचायत नगरपारा पूरब के ग्राम सभा दिनांक 13 अगस्त, 2022 के प्रस्ताव संख्या 14 से बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गयी है। खेसरा संख्या 6968 पर बन्दोबस्ती पर्चा नहीं दी गयी है। आर०एस० खतियान के अनुसार खाता 2843, खेसरा 6967, अनाबाद सर्वसाधारण खाते की अराजी है, किस्म रास्ता है। प्रस्तावित खेसरा पर वर्तमान में गांव के लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर फसल उगायी की जा रही है एवं रास्ता नहीं है। 13 फीट (20कड़ी) रास्ता को छोड़ते हुये कुल 25 परिवारों को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 614/रा०, दिनांक 17 जून, 2015 के आलोक में नियमानुसार एवं लोकहित में बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी है।

कोल्ड स्टोर खोलना

*1957. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत रामनगर एवं गौनाहा प्रखण्ड में कोल्ड स्टोर नहीं होने से वहां के किसानों एवं व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त वर्णित प्रखण्डों में एक-एक कोल्ड स्टोर कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 16 मार्च, 2023 (ई०)।

बि०स०मु० - 87 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी० -550